**UPSP010046502022**

**न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।**

**उपस्थितः विकास गुप्ता, (एच0जे0एस0)**

**सत्र वाद संख्या–739/2022**

राज्य... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .अभियोजन

**बनाम**

1–हेमन्त भास्कर पुत्र चतर सिंह,

2–श्रीमती शिक्षा पत्नी चतर सिंह,

3–चतर सिंह पुत्र सौदागार सिंह, समस्त निवासीगण गली नंबर–7, नवीन नगर, थाना–सदर बाजार, जिला–सहारनपुर। ... ...अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–316/2021,
धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–सदर बाजार, जिला सहारनपुर।

**<u>निर्णय</u>**

**1.** अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह का परीक्षण मुकदमा अपराध संख्या 316/2021 में विवेचना के पश्चात प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में किया गया।

**2.** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया की पुत्री कविता की शादी दिनांक 02.07.2020 को हेमन्त भास्कर पुत्र चतर सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही कविता के ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। कविता की सास श्रीमती शिक्षा व ननद बेबी पत्नी मेनपाल, ससुर चतर सिंह व देवर प्रवीन, कविता से अपने माइके से लगातार कार तथा नगदी की डिमान्ड करते रहते थे। हाल में माह जून 2021 में कविता के पिता ने ए.सी. लगवाने हेतु कविता के खाते में 35000/–रूपये ट्रास्फर किये थे। दिनांक 12.07.2021 लगभग 3 बजे दिन में उसने अपनी पुत्री कविता को फोन किया तो कविता ने कहा कि पति, ससुर–सास, देवर तथा ननद बेबी एक राय होकर उसे मारना चाह रहे हैं और आपस में बात करते हुए कि हमारा दामाद जो I.B. पुलिस में उससे बात हो गई वह हमारा कुछ नहीं होने देगा। तभी रात्री में लगभग 12 बजे चतर सिंह ने प्रार्थिया के पति को मो0न0 9654248012 पर धमकाते हुऐ सूचना दी कि कविता मर गई है तथा फोन काट दिया। तभी गंगाराम ने अपने भाई शीतल प्रसाद को रात्रि में ही फोन किया। शीतल प्रसाद प्रार्थिया तथा अन्य रिश्तेदारों को साथ लेकर सहारनपुर नवीन नगर पहुंचा तो उपरोक्त लोग घर पर नहीं मिले। तत्पश्चात थाना सदर से पता चला कि कविता की लाश पोस्टमार्टम

हाऊस जेल चुंगी पर है। उपरोक्त लोगों ने जानबूझकर प्रार्थिया की पुत्री की हत्या की है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने की करे।

**3.** उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 13.07.2021 को समय 12:30 बजे मुकदमा अपराध संख्या–0316/2021 अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विरूद्व अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा, बेबी ननद, चतर सिंह व प्रवीन देवर दर्ज किया गया। विवेचना के उपरान्त समुचित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह के विरूद्व धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या–341/2021 प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दिनांक 08.10.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया।

**4.** विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा किये गये अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण वाद दिनांक 21.04.2022 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश के द्वारा पत्रावली विभिन्न न्यायालय से अंतरित होते हुए इस न्यायालय को प्राप्त हुयी। दौरान विचारण अभियुक्तगण जमानत पर हैं।

**5.** विचारण के दौरान दिनांक 11.05.2022 को विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा पत्नी चतर सिंह व चतर सिंह के विरूद्व धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप के रूप में अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह के विरूद्व धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

**6.** अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में बतौर प्रलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत/साबित किया गयाः–

| क्र.सं. | अभियोजन प्रपत्र | प्रदर्श | साबित करने वाले साक्षी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | तहरीर | प्रदर्श क–1 | पी.डब्ल्यू.–1 श्रीमती शिक्षा देवी |
| 2. | पोस्टमार्टम रिपोर्ट | प्रदर्श क–2 | पी.डब्ल्यू.–4 डाक्टर रूचिन यादव |
| 3. | चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट | प्रदर्श क–3 | पी.डब्ल्यू.–5 एच.सी. अनूप सिंह |
| 4. | मुकदमा कायमी की जी.डी. | प्रदर्श क–4 | पी.डब्ल्यू.–5 एच.सी. अनूप सिंह |
| 5. | पंचायतनामा मृतका कविता | प्रदर्श क–5 | पी.डब्ल्यू.–6 नायब तहसीलदार राहुल सिंह |
| 6. | मृतका का फोटो लाश | प्रदर्श क–6 | पी.डब्ल्यू.–6 नायब तहसीलदार राहुल सिंह |
| 7. | फार्म संख्या–13 | प्रदर्श क–7 | पी.डब्ल्यू.–6 नायब तहसीलदार राहुल सिंह |
| 8. | चिट्ठी आर.आई. | प्रदर्श क–8 | पी.डब्ल्यू.–6 नायब तहसीलदार राहुल सिंह |
| 9. | चिट्ठी सी.एम.ओ. | प्रदर्श क–9 | पी.डब्ल्यू.–6 नायब तहसीलदार राहुल सिंह |
| 10. | फर्द बाबत लेने कब्जे दो अदद दुपट्टे जनाने आपस में गांठ लगे हुए | प्रदर्श क–10 | पी.डब्ल्यू.–9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह |
| 11. | नक्शा–नजरी घटनास्थल | प्रदर्श क–11 | पी.डब्ल्यू.–10 दुर्गा प्रसाद तिवारी ए.एस.पी. बलिया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | आरोप पत्र संख्या–341/2021 | प्रदर्श क–12 | पी.डब्ल्यू.–10 दुर्गा प्रसाद तिवारी ए.एस.पी. बलिया |
| 13. | न्यायालय में खोला गया एक कपड़ा पुलिन्दा | वस्तु प्रदर्श–1 | पी.डब्ल्यू.–9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह |
| 14. | पुलिन्दे से निकले दो दुपट्टें | वस्तु प्रदर्श–2 व वस्तु प्रदर्श–3 | पी.डब्ल्यू.–9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह |
| 15. | मृतका कविता के भारतीय स्टेट बैंक आईएफएससी कोड SBIN0002390, खाता संख्या–00000011607959820 की दिनांक 01.06.2021 से 30.06.2021 तक स्टेटमैन्ट | वस्तु प्रदर्श–4 | पी.डब्ल्यू.–11 शुभम, सहायक एसोसिएट स्टेट बैंक ब्रांच खतौली, मुजफ्फरनगर |
| 16. | चतर सिंह व श्रीमती शिक्षा देवी के बैंक Account Ledger Inquiry की प्रमाणित प्रति | वस्तु प्रदर्श–5 | पी.डब्ल्यू.–12 मनिन्दर, चीफ मैनेजर, पंजाब नैशनल बैंक, न्यू आवास विकास कालोनी, सहारनपुर |

7. अभियोजन की ओर से आरोप सिद्ध करने के उद्देश्य से मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

| **क्रम सं0** | **साक्षी संख्या** | **साक्षी का नाम** |
|---|---|---|
| 1. | पी.डब्ल्यू.–1 | शिक्षा देवी (वादिनी मुकदमा) |
| 2. | पी.डब्ल्यू.–2 | गंगाराम |
| 3. | पी.डब्ल्यू.–3 | शालू |
| 4. | पी.डब्ल्यू.–4 | डाक्टर रूचिन यादव |
| 5. | पी.डब्ल्यू.–5 | एच.सी. अनूप सिंह |
| 6. | पी.डब्ल्यू.–6 | राहुल सिंह, नायब तहसीलदार |
| 7. | पी.डब्ल्यू.–7 | कांस्टेबल 1042 रीता |
| 8. | पी.डब्ल्यू.–8 | डाक्टर दीपिका सिंह |
| 9. | पी.डब्ल्यू.–9 | उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह |
| 10. | पी.डब्ल्यू.–10 | दुर्गा प्रसाद तिवारी ए.एस.पी. बलिया |
| 11. | पी.डब्ल्यू.–11 | शुभम, सहायक एसोसिएट स्टेट बैंक ब्रांच खतौली, मुजफ्फरनगर |
| 12. | पी.डब्ल्यू.–12 | मनिन्दर, चीफ मैनेजर, पंजाब नैशनल बैंक, न्यू आवास विकास कालोनी, सहारनपुर |

8. बचाव पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में बतौर प्रलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत/साबित किया गयाः–

| **क्र.सं.** | **बचाव प्रपत्र** | **प्रदर्श** | **साबित करने वाले साक्षी का नाम** |
|---|---|---|---|
| 1. | विवाह का अनुमति पत्र द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर | वस्तु प्रदर्श–1 | डी.डब्ल्यू.–1 राजेन्द्र कुमार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | चतर सिंह से शादी की बुकिंग संबंधी तैयार अभिलेख | वस्तु प्रदर्श ख–1 | डी.डब्ल्यू.–1 राजेन्द्र कुमार |

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध में अपनी संलिप्तता व भूमिका से इंकार करते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया गया। बचाव साक्ष्य के रूप में अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित बचाव साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

| **क्रम सं0** | **साक्षी संख्या** | **साक्षी का नाम** |
|---|---|---|
| 1. | डी.डब्ल्यू.–1 | राजेन्द्र कुमार |
| 2. | डी.डब्ल्यू.–2 | सत्यपाल भारती |
| 3. | डी.डब्ल्यू.–3 | श्रीमती सुषमा जरोवर |

10. मैंने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना, पत्रावली का परिशीलन किया।

11. अभियोजन साक्षी **वादी मुकदमा/पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती शिक्षा देवी** द्वारा अपने सशपथ बयान के माध्यम से कथन किया गया है कि उसकी बड़ी लड़की की शादी दिनांक 02.07.2020 को हेमंत भास्कर के साथ सहारनपुर में हुई थी। शादी शिव मंदिर नवीन नगर धर्मशाला में हुई थी। शादी में दान दहेज दिया था। उसकी लड़की लॉ ग्रेजुएट थी व उसने एक साल गाजियाबाद में रहकर न्यायालय में वकालत की है। पीसीएस की तैयारी कर रही थी। शादी में उसने अपनी हैसियत से ज्यादा समान दिया था, जिससे उसकी ससुराल वाले खुश नहीं थे। शादी वाले दिन फेरों के समय ही कार की मांग की थी। कार की मांग करने वाले बेबी उर्फ अंजना बड़ी ननद, चतर सिंह ससुर, प्रवीन देवर, शिक्षा सास थे। उसके पति व भाई रामनाथ ने चतर सिंह, लड़के प्रवीन व अंजना को अलग कमरे में बुलाकर समझाया था कि अभी लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन खुलने पर हम लोग गाड़ी की पूरी–पूरी व्यवस्था करेंगे, तब समझाने बुझाने पर ही यह शादी संपन्न हुई थी। शादी के बाद भी उपरोक्त लोग उसकी बेटी से निरंतर गाड़ी की मांग करते रहते थे। शादी के बाद नवंबर 2020 में दिवाली के अवसर पर प्रवीन जो तेलंगाना में नौकरी करता है, अपने घर आया हुआ था और उसने कहा कि शादी को इतने दिन हो गए हैं, गाड़ी अभी तक नहीं दी, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है। बार–बार सभी लोग उसकी बेटी को गाड़ी के लिए टॉर्चर करते रहते थे, उसको खाने–पीने की चीजों को भी तरसाते थे। दीपावली के बाद उसके पति व जेठ कविता की ससुराल गए थे और उन्हें समझाया था कि अभी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी लॉकडाउन नहीं खुला है, हम लोग गाड़ी की व्यवस्था में लगे हैं। माह मार्च, 2021 में उनके पास अंजना व परिवार के सभी लोगों के फोन इसलिए आए कि हेमंत की नौकरी लगवानी है जिसके लिए 12 लाख रूपये की आवश्यकता है। इन लोगों ने कहा था कि सात लाख रूपये की व्यवस्था तुम कर दो, पांच लाख रूपये की व्यवस्था हम कर लेंगे। हम लोगों ने इनको बता दिया था कि उनके पास सात लाख रूपये नहीं है लेकिन रोशनाबाद हरिद्वार में एक प्लॉट उनका है तुम चाहो तो इसे बेचकर आप पैसे रख लेना। फिर इस प्लॉट के बैनामे के पेपर भी अपनी बेटी कविता के फोन पर व्हाट्सएप कर दिए थे। उसकी बेटी कविता ने अपने पति को व्हाट्सएप बता व दिखा दिया था। माह जून में

कविता ने अपने कमरे में कूलर चला रखा था तो उसकी सास शिक्षा ने चलते कूलर को यह कहकर बंद कर दिया था कि अपने बाप के यहां से ए.सी. लगवा ले उसी को चला लेना। लड़की ने यह बात उन्हें बताई तब वह और उसके पति, कविता की ससुराल में आए तो अपनी बेटी को 16000/–रूपये नकद दिए और कहा कि ए.सी. की बाकी रकम 19000/–रुपये खाते से ट्रांसफर कर देंगे, जो 16000/–रुपये कविता को दिए थे वह रूपये उसकी ननद अंजना ने उसी समय कविता से यह कहकर छीन लिए कि तुम लोगों ने गाड़ी तो दी नहीं अब हेमंत की नौकरी लगवाने के लिए सात लाख रूपये दे दो। उसने दिनांक 12.07.2021 को दिन में 03:00 बजे अपनी बेटी कविता को फोन किया तो कविता ने बताया कि ये सभी लोग ससुर, देवर, सास, पति, ननद बैठे हैं और वह ऊपर से जीने से आ रही थी तो उसने इन लोगों को यह कहते सुना कि हमारा दामाद जो आई.बी. में सी.ओ. है उससे हमारी बात हो गई है वह हमारा कुछ नहीं बिगड़ने देगा, कविता को खत्म कर देते हैं और हेमंत की दूसरी शादी कर देंगे। उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की है। उसी रात लगभग 10:00 बजे उसने कविता का हाल जानने के लिए अपनी छोटी बेटी से फोन कराया तो कविता के फोन पर कविता के लंबे–लंबे सांस लेने की आवाज आ रही थी तभी फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हेमंत को फोन पर बात करने के लिए कोशिश किया तो दो–तीन बार कोशिश करने के बाद हेमंत ने फोन उठाया। उसकी छोटी बेटी ने हेमंत से बात की और कविता का हाल–चाल पूछा और कविता से बात कराने के लिए कहा तो हेमंत ने धमकाते हुए कहा कि अब बहुत हद हो चुकी है अब मैं कविता से तुम्हारी कोई बात नहीं कराउंगा और यह कहकर फोन बंद कर दिया कि तुमने कोई मांग पूरी नहीं की है जो उसके बर्दाश्त से बाहर है और फोन स्विच ऑफ कर दिया। वे लोग बार–बार उनके फोन पर ट्राई करते रहे परंतु किसी का भी फोन नहीं मिल पाया। समय 11:00 बजे वह सहारनपुर पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने में लगे रहे कि सहारनपुर पहुंचकर कविता से मिल सके। रात के करीब 12:00 बजे चतर सिंह ने उसके पति को फोन किया। उसके पति उस समय दिल्ली में थे, चतर सिंह ने उसके पति के मोबाइल नंबर 9654248012 पर कहा कि तुम्हारी लड़की मर गई है आकर उसे ले जाओ। यह कहकर चतर सिंह ने फोन काट दिया। उसके पति ने तभी अपने छोटे भाई शीतल प्रसाद को यह बात बताई, शीतल प्रसाद हरिद्वार रहते हैं। उसके पति के भाई शीतल प्रसाद, भाई रामनाथ व अन्य रिश्तेदारों को लेकर तथा वह अपने जेठ मदन, ननद भारती के साथ जो अपनी गाड़ी लेकर आए थे, सहारनपुर नवीन नगर पहुंचे तो कविता के ससुराल में ताला लगा था, फिर वह थाना सदर बाजार पहुंचे तो दरोगा ने कहा कि सुबह 9:00 बजे बात होगी। दरोगा ने बताया कि लड़की अस्पताल में है, फिर वे लोग अस्पताल गये। उन्हें उनकी लड़की वहां भी नहीं मिली क्योंकि लड़की अस्पताल से मोर्चरी जा चुकी थी। मोर्चरी में उसने लड़की को देखा था फिर थाने आई। उसने ब्रिजेश कुमार से तहरीर लिखायी थी, इस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने कागज संख्या 4/4 देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने उस दिन थाना पर दी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं शिनाख्त करती है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

**जिरह में** उक्त साक्षी ने बताया है कि कविता व हेमन्त भास्कर की शादी, शादी डॉट कॉम के माध्यम से हुई थी। उन दोनों की शादी के संबंध में सहमति थी। उसके पति सुपरवाईजर है। दिल्ली में नौकरी करते हैं। कविता बी.ए. एल.एल.बी. पास थी और वह एक साल से गाजियाबाद में वकालत करती है। गांव से नहीं आती–जाती वह वहीं रहती थी। उसके पापा ने मकान ले रखा है। यह साक्षी बचाव पक्ष के इस सुझाव से

इंकार करती है कि 20 लाख रूपये लेकर उन्होंने दूसरी बेटी सोनिया की मृत्यु की बाबत फैसला किया है। अभियुक्त चतर सिंह के दो लड़के हेमन्त व प्रवीन होना बताती है और यह जानकारी होने से इंकार करती है कि प्रवीन तेलंगाना में इंजीनियर है या नौकरी करता है। आगे यह साक्षी बताती है कि शादी से पहले लड़की की मौसी के यहाँ गये थे, फिर उनके गांव में घर देखने दो बार गये थे और दूसरी बार लड़की को अंगूठी पहनाने गये थे। शादी वेकंट हाल में न होकर कोरोना लगने के कारण शिव मन्दिर में हुई थी। दिनांक 02.07.2020 को शादी हुई थी, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। अभियुक्त चतर सिंह द्वारा जिलाधिकारी से 50 आदमियों की परमिशन हुई थी तब शादी हुई और शादी का खर्चा स्वयं वादिनी द्वारा उठाना जाना बताती है। यह भी बताती है कि हलवाई वगैरह वर पक्ष ने किये थे परन्तु पैसे स्वयं देना बताती है। यह साक्षी यह भी बताती है कि रिपोर्ट उसने स्वयं लिखवाई थी, वह बहुत परेशान थी, जो उसे याद रहा वही लिखवा दिया था। कार की मांग वाली बात भी उसने अपनी रिपोर्ट में लिखवाई थी। शादी के दिन ही फेरों के समय कार की मांग करना बताती है और यह भी बताती है कि यह बात उसने अपनी रिपोर्ट में लिखवा दी थी। मुख्य परीक्षा में शादी के बाद नवम्बर 2020 में दिवाली के अवसर पर प्रवीन द्वारा गाड़ी की मांग करने के अभिकथन को यह साक्षी बताती है कि उसे याद नहीं कि उसने अपने बयानों में यह बात बतायी थी या नहीं। अपना बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. सुनने पर इस साक्षी ने कहा कि यदि उसमें यह बात नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। आगे यह साक्षी बताती है कि पुनः मार्च 2021 में अंजना व परिवार के सभी लोगों के फोन इसलिए आये कि हेमन्त की नौकरी लगवानी है जिसके लिए 12 लाख रूपये की आवश्यकता है और उन्हें कहा कि सात लाख रूपये की व्यवस्था करनी होगी। आगे साक्षी बताती है कि उन्होंने कविता के ससुरालीजन से कहा कि सात लाख रूपये की व्यवस्था नहीं हो पायेगी लेकिन उनका प्लाट रोशनाबाद हरिद्वार में है, यदि तुम चाहों तो उसे बेचकर पैसे रख लेना और प्लाट के बैनामे के पेपर भी अपनी बेटी कविता के फोन पर व्हाट्सएप कर दिये थे। उसकी बेटी कविता ने अपने पति को दिखा व बता दिया था। ऐसा कोई फोन विवेचना के दौरान किसी पुलिस कर्मचारी को दिखाने से यह साक्षी इंकार करता है और नह ही ऐसा कोई फोन न्यायालय में पेश करने में स्वयं को सक्षम बताता है। पुनः माह जून में कविता द्वारा अपने कमरे में कुलर चला होना तथा उसकी सास शिक्षा द्वारा उसे यह कहते हुए बन्द करना कि अपने बाप के यहाँ से ए.सी. मंगा ले और यह बात उसकी लड़की ने उन्हें बताई तो वह व उसके पति कविता की ससुराल में आये तो अपनी बेटी कविता को 16 हजार रूपये नकद देने और 19 हजार रूपये ट्रांसफर करने की बात कहने तथा उन 16000/–रूपये को कविता की ननद अंजना द्वारा यह कहकर छीन लेना कि तुमने गाड़ी तो नहीं दी अब हेमन्त की नौकरी के लिए सात लाख रूपये दे दो, उक्त अभिकथन किये हैं। यह उपरोक्त कथन उसकी रिपोर्ट में नहीं लिखवाये थे, विवेचक को बताये थे। परन्तु जब इस साक्षी को बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. सुनाया गया तो उसने बताया कि यदि इसमें उसका उल्लेख नहीं है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। कविता की बहन द्वारा घटना की रात कविता को फोन करना और कविता द्वारा फोन पर लंबे–लंबे सांस लेना और बाद में उसका फोन स्वीच ऑफ होना भी यह साक्षी अपनी रिपोर्ट में लिखवाने से इंकार करती है। फिर हेमन्त से बात करने की कोशिश की तो 2–3 बार फोन करने के बाद उसने फोन उठाया और उसे कविता से बातचीत कराने के लिए कहा तो हेमन्त ने घबराते हुए कहा कि अब बहुत हद हो चुकी है, मैं कविता से अब बात नहीं कराऊंगा और यह कहकर फोन बन्द कर

दिया। यह बात भी उसने विवेचक को बताई थी, अगर नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। विवेचक को यह बातें कि वह अपने जेठ मदन, ननद भारती के साथ अपनी गाड़ी लेकर आये थे, वह लोग सहारनपुर से नवीन नगर पहुंचे तो कविता की ससुराल में ताला लगा था, फिर थाना सदर बाजार जाने पर दरोगा जी ने कहा कि लड़की अस्पताल में है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिली। उपरोक्त बातें उसने विवेचक को बतायी थी, यदि विवेचक ने नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। रिपोर्ट लिखने से पहले पंचनामा नहीं भरा गया था, उसके बाद भरा गया था।

यह साक्षी यह भी बताती है कि उसे बिजली विभाग में मुल्जिम हेमन्त को प्राईवेट प्रोजेक्ट मैनेजर होना बताया गया था और दूर से ही उसके पति को ऑफिस दिखाया था। आगे यह साक्षी बताती है कि हेमन्त का भाई प्रवीन घटना के दिनों एनटीपीसी में प्रोजेक्ट मैनेजर था या नहीं उसे पता नहीं। केवल इतना पता है कि वह तेलंगाना में नौकरी करता है। यह साक्षी बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार करती है कि प्रवीन की शादी कविता अपनी बहन शालू से करवाना चाहती थी और इसी कारण प्रवीन के लिए भी लड़की देखने भी नहीं गयी थी और न ही वह दिनांक 14.07.2021 को उसकी रिंग सेरेमनी में जाना चाहती थी। यह साक्षी यह भी बताती है कि जहाँ उसकी लड़की बियाही थी वह वहाँ ए.सी. के पैसे देने के लिए एक घण्टे के लिए जून 2021 में गयी थी। उसने नहीं देखा कि जिस कमरे में उसकी लड़की रहती थी उसका दरवाजा बाहर बालकनी में है और एक खिड़की भी है। उसने घटनास्थल का मायना विवेचक को नहीं कराया था। अभियुक्त चतर सिंह सिंचाई विभाग सहारनपुर में सिंचाई पर्यवेक्षक के पद से दिनांक 31.12.2010 को रिटायर हो गये थे। यह साक्षी यह भी बताती है कि उसने शादी के दिन ही कार मांगने वाली बात बताई है और उसके संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं की थी और न ही उसके परिवार वालों ने दहेज मांगने पर शादी करने से मना किया था। यह भी बताती है कि शादी के बाद भी अभियुक्त का गाड़ी की मांग करने की बाबत व अभियुक्त के परिवार वालों के खिलाफ पूर्व में कोई शिकायत नहीं की थी। यह साक्षी यह भी बताती है कि उसकी लड़की एडवोकेट थी, किन्तु उसने घटना के बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं की।

12. अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–2 गंगाराम** द्वारा अपने सशपथ बयान के माध्यम से कथन किया गया है कि मृतका कविता उसकी लड़की थी। उन्होंने अपनी बेटी कविता की शादी दिनांक 02.07.2020 को हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार हेमन्त भास्कर पुत्र चतर सिंह के साथ की थी। उसकी बेटी कविता लॉ ग्रेजुएट थी, एक साल उसने जूनियरशिप में गाजियाबाद में कचहरी में कार्य किया। कविता पी.सी.एस. जे. की तैयारी कर रही थी। जो उन्होंने सामान दिया था उससे कविता का पति हेमन्त भास्कर, सास शिक्षा और ससुर चतर सिंह व ननंद बेबी उर्फ अंजना और देवर प्रवीन खुश नहीं थे और उसकी बेटी कविता को तंग व परेशान व तरह–तरह से प्रताड़ित करते रहते थे। शादी के समय भी उन्होंने फेरों के वक्त गाड़ी की डिमांड की थी। गाड़ी की मांग करने वाले बेबी उर्फ अंजना, ससुर चतर सिंह देवर प्रवीण व सास शिक्षा थी। उसने और उसके बड़े भाई रामनाथ ने अंजना व चतर सिंह व प्रवीन को अकेले में कमरे में बुलाकर समझाया था और कहा था कि अभी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन खुलने पर हम लोग गाड़ी की मांग पूरी करने के लिए व्यवस्था करेंगे। हमने उनके आगे हाथ पैर जोड़े थे कि हम व्यवस्था कर देंगे और फेरे करवाए थे, जल्दी गाड़ी देने के आश्वासन के बाद इन लोगों ने शादी संपन्न कराई थी। शादी के बाद से ही यह लोग उसकी बेटी कविता को गाड़ी की मांग का दबाव डालते रहे, ताने देकर प्रताड़ित करते रहते थे। उनकी बेटी ने उन्हें कई

बार यह बात बताई थी। वह अपनी बेटी को बार–बार समझाते थे कि लॉकडाउन खुलने के बाद गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे जबकि शादी के एक डेढ़ महीने बाद ही उसने चतर सिंह व हेमंत के कहने पर एल०ए०डी जो शादी में दी थी, पुनः बदलवाकर खरीद कर दूसरी एल०ए०डी दे दी थी और उसका बिल भी हेमन्त भास्कर के नाम से करवाया था। शादी में 50 आदमियों का प्रोग्राम था। शादी चतर सिंह के कहने पर मोहल्ला नवीन नगर में ही की थी। खर्चा उसने ही किया था, इंतजाम चतर सिंह ने कराया था। कविता का देवर प्रवीण दिवाली पर उनके घर आया था। उसने मृतका को टॉर्चर किया था और धमकी दी थी हमें घूमने जाना था अब तक आपने गाड़ी नहीं दी है। मार्च सन् 2021 की बात है हेमन्त की नौकरी के लिए 12 लाख रूपये की रिश्वत देनी थी जिसमें इन्होंने कहा था पांच लाख रूपये हमारे पास है, सात लाख रूपये आपको प्रबन्ध करना है आपको देने हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, एक हमारा खाली प्लॉट पड़ा है उसे बेचकर काम चला लेना। जून के महीने में कूलर को लेकर विवाद हुआ था तो हमने अपने खाते से चतर सिंह के खाते में ट्रांसफर कराए थे तथा 16000/–रूपये उसने और उसकी बीवी ने नगद दिये थे तब अंजना ने उससे कहा था कि आपने गाड़ी का इंतजाम नहीं किया, अब आपको 7 लाख का इंतजाम करना है, इसमें लड़के के भविष्य का सवाल है। उसने प्लाट के कागजात की डिटेल उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया था। बारह तारीख की रात को उसके पास चतर सिंह का फोन आया था वो धमकी देते हुए बोला कि आपकी लड़की मर गई है इसे ले जाओ, तब उसने अपने छोटे भाई को फोन किया और अगले दिन वह सहारनपुर आया। उन्होंने बेटी की हत्या की है, उन्होंने बेटी की हत्या गाड़ी न देने व नगद रूपये न देने के कारण की है।

उक्त साक्षी ने अपनी **जिरह** में कथन किया है कि उसकी बेटी की शादी, शादी डॉट कॉम के जरिये हुई थी तथा हेमन्त के बायोडाटा में उसे प्राईवेट कम्पनी में मैनेजर होना और सेलरी 40 हजार रूपये होना भी यह साक्षी बताता है। शादी से एक महीने पहले उन लोगों की मीटिंग लड़की की मौसी के यहाँ होना तथा वहाँ दहेज की कोई बातचीत नहीं होना यह साक्षी बताता है। सगाई मार्च में होना और शादी 02 जुलाई को होना भी यह साक्षी साबित करता है। शादी लॉकडाउन की वजह से लेट हुई थी। शादी सहारनपुर में हुई थी, इंतजाम चतर सिंह ने किया था, खर्चा स्वयं करना बताता है। हलवाई को उसने 60 हजार रूपये खर्चे की बाबत दिये थे। यह साक्षी अभियुक्तगण द्वारा फेरों के समय गाड़ी की डिमाण्ड करना तब उसके व उसके बड़े भाई रामनाथ द्वारा समझाने कि लॉकडाउन खुलने पर गाड़ी की मांग पुरी करने की व्यवस्था करेंगे। उपरोक्त बात विवेचक को बता देना बताता है। यह भी बताता है कि उसने विवेचक को बता दिया था कि कविता का देवर प्रवीन दीवाली पर उनके घर आया था, उसने उनकी लड़की को टार्चर किया था और धमकी दी थी कि उन्हें घूमने जाना था लेकिन गाड़ी नहीं दी है। अगर विवेचक ने नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। विवेचक को हेमन्त की नौकरी के लिए 12 लाख रूपये रिश्वत देने जिसमें कि पांच लाख रूपये अभियुक्तगण के पास होने और सात लाख रूपये की मांग करने की बात बताना बताता है। यद्यपि यह भी बताता है कि विवेचक ने यदि यह बात नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। इसी प्रकार से ए.सी. के बारे में भी यह साक्षी विवेचक को कविता की ससुराल में ए.सी. लगवाने हेतु कविता के खाते में 35000/–रूपये ट्रांसफर किये जाने वाली बात बताने से इंकार करता है और यदि विवेचक ने यह बात लिखी है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। यह भी बताता है कि उसने व्हाट्सएप पर प्लाट के कागजात की डिटेल अपने मोबाईल नंबर 9654248012 से अपनी लड़की के

मोबाईल नंबर पर भेज दिया था, नम्बर उसके याद नहीं है, न ही उसने विवेचक को वह नंबर दिखाया था। आगे यह साक्षी बताता है कि 12 तारीख को रात 12 बजे उसके पास चतर सिंह का फोन आया था और उसने धमकी देते हुए कहा था कि आपकी लड़की मर गयी है। यह बात सही है कि शालू ने हेमन्त से 12.07.2021 को 22 बजे कॉल की थी लेकिन यह नहीं कह सकता कि वीडियो कॉल की थी। आगे यह साक्षी बताता है कि वह अपने घर दिल्ली से रात के चार बजे सहारनपुर आनन्द विहार के लिए चल दिया था। आनन्द विहार से दिल्ली के लिए आठ बजे सुबह अकेले चला था और वह सहारनपुर दोपहर बाद पहुंचा था।

यह साक्षी यह भी बताता है कि सगाई के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी। उस समय उसकी हैसियत कार देने की नहीं थी। जब कार की मांग की गयी थी तब लॉकडाउन लगा था। उस समय भी उसकी हैसियत कार देने की नहीं थी। शालू घटना के समय शादीशुदा नहीं थी, पढ़ रही थी। मुल्जिम हेमन्त भास्कर का भाई प्रवीन भी घटना के समय अविवाहित था। यह सही है कि हेमन्त भास्कर व उसके माता–पिता घटना से पहले प्रवीन के लिए लड़की देखने अम्बाला गये थे। उसने अपनी बेटी को लॉ ग्रेजुएट होना व गाजियाबाद में जुनियर वकील के रूप में कार्य करना बताता है। आगे यह साक्षी बताता है कि जब वह अपनी लड़की के ससुराल गया था तो वहाँ पर लोग खड़े थे। उसके परिवार वाले उपस्थित नहीं थे। वह घटना के बाद पुलिस के साथ उस कमरे में गया था जिसमें लड़की का शव था। कविता के कमरे में अन्दर जाने का रास्ता, अन्दर से भी है और बाहर से भी है। आगे यह साक्षी बताता है कि दिल्ली में वह किराये पर रहता है, उसका अपना मकान नहीं है। यह साक्षी यह भी बताता है कि 16 हजार रूपये वह रविवार के दिन देकर आये शायद 13 तारीख थी और यह बात उसने विवेचक को बता दी थी, अगर विवेचक ने नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसे नहीं पता कि प्रवीन वर्ष 2019 से तेलंगाना में नौकरी करता है या नहीं। प्रवीन शादी के बाद दो बार आया था, एक बार वह दिवाली पर आया था और एक बार जुलाई में आया था। घटना के समय भी यही पर था।

13. अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–3 शालू** द्वारा अपने सशपथ बयान के माध्यम से कथन किया गया है कि वह कविता उसकी बड़ी बहन थी। कविता की शादी उसके मम्मी पापा ने 02.07.2020 में हेमन्त भास्कर पुत्र चतर सिंह निवासी नवीन नगर सहारनपुर में हुई थी। उन लोगों ने चतर सिंह के कहने पर शिव मंदिर नवीन नगर धर्मशाला में आकर संपन्न कराई थी। शादी वाले दिन ही फेरों से पहले चतर सिंह ने उसके लड़के प्रवीन, चतर सिंह की लड़की अंजना ने और चतर सिंह की पत्नी शिक्षा ने गाड़ी की मांग की थी जिसके बाद उसके पापा व उसके ताया रामनाथ ने इन लोगों को अलग कमरे में बुलाकर बातचीत की, हाथ पैर जोड़े कहा कि अभी कोरोना काल के कारण हमारी स्थिति ठीक नहीं है हम बाद में व्यवस्था कर देंगे। उसके पापा व ताऊ के कहने पर उपरोक्त मुलजिमान मान गए थे और जैसे तैसे शादी संपन्न हो गई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को ये सब लोग परेशान करने लगे थे। कार व सात लाख रूपये की लगातार मांग करते रहे और मांग पूरी न होने पर बार–बार परेशान करते रहे जबकि उसके पापा ने दहेज का सारा सामान जरूरत का दिया था परंतु वे लोग फिर भी नहीं मानते थे। उसके पापा ने शादी में जो एल०ई०डी० दी थी वो कविता के ससुराल वालों को पसंद नहीं आई थी, वह उसके पापा ने नई लाकर दे दी थी। उसके बाद ए.सी. के पैसे दिए थे। ए.सी. के पैसे मुल्जिमान ने मांगे थे। पापा ने 19,000/–रूपये अकाउंट से ट्रांसफर किए थे

तथा 16,000/–रूपये उसके मम्मी–पापा नगद देकर आए थे। कुल 35,000/–रूपये दिए थे लेकिन वे लोग उसके बाद भी नहीं माने थे। लगातार कार व 7 लाख रूपये की मांग करते रहे। उसकी मम्मी ने उसे बुलाकर कविता को रात के साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास कविता को फोन कराया था। फोन मिलने के बाद कविता ने मम्मी–मम्मी कहा था लेकिन कविता का फोन बंद कर दिया था या बंद हो गया था जिसके बाद उसने अपने जीजा हेमंत भास्कर को फोन लगाया था। उसने उनसे कहा कि हमारी बात कविता से करा दो उसका फोन नहीं मिल रहा है जिस पर हेमंत भास्कर ने कविता से बात कराने को मना कर दिया था और गुस्से में धमका कर कहा था कि तुमने हमारी किसी मांग को पूरा नहीं किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह कहकर फोन काट दिया था। चतर सिंह का फोन उसके पापा के पास आया था। पापा ने उन्हें बताया था कि आपकी लड़की मर गई है उसे जाकर ले जाओ। उसके बाद रिश्तेदारों के साथ गाड़ी की व्यवस्था करके सहारनपुर पहुंचे थे। कविता की मृत्यु से पहले एक बार मंसूरपुर के किसी स्कूल से वैकेंसी निकली थी जो टीचर की जॉब के लिए थी। जिसमें बारह लाख रूपये की जरूरत थी। अंजना, चतर सिंह, देवर प्रवीण और शिक्षा देवी सास ने यह कहा कि सात लाख तुम दो और पांच लाख की व्यवस्था हम करेंगे। जिस पर उसके पापा ने यह कहा कि पैसे तो नहीं है कि हमारा रोशनाबाद, हरिद्वार में एक प्लॉट है जिसे बेचकर तुम वो पैसे रख लेना। उसके पापा ने प्लॉट के कागजात उसकी बहन कविता के व्हाट्सएप पर भेजे थे।

उक्त साक्षी ने अपनी **जिरह** में कथन किया है कि उसने फेरों के पहले चतर सिंह व उसके परिवारजनों द्वारा गाड़ी की मांग करना विवेचक को बता दी थी। यदि उन्होंने नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। अपनी बहन मृतका कविता को यह साक्षी वकील बताती है। शादी के समय लड़के वालों की खुशामद करना बताती है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। यह भी बताती है कि उस समय उन्हें यह अहसास हो गया था कि ये लोग लालची हैं तथा शादी के बाद उसकी बहन को परेशान कर सकते हैं परन्तु इतना तंग व परेशान करेंगे यह नहीं सोचा था।

एल.ई.डी. को बदलने वाली बात भी यह साक्षी विवेचक को बताना बताती है और यह कथन करती है कि विवेचक ने बयान में नहीं लिखा हो तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। इसके अतिरिक्त विवेचक को उसके पापा द्वारा 19 हजार रूपये अकाउंट में ट्रांसफर तथा 16 हजार रूपये नकद देना विवेचक को बताना भी यह साक्षी बताती है और यह भी कि यदि उसके बयान में नहीं लिखा है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। उसने विवेचक को यह बात कि उसके पिता ने कविता की ससुराल में ए.सी. लगवाने के लिए कविता के खाते में 35 हजार रूपये ट्रांसफर किये थे, बता दी थी यदि विवेचक ने नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। फिर स्वयं कहती है कि उसके पापा ने कविता के खाते में 19 हजार रूपये ट्रांसफर किये थे, 35 हजार रूपये ट्रांसफर नहीं किये थे। 16 हजार रूपये कविता को देने मम्मी–पापा के साथ स्वयं को होने से इंकार करती है।

आगे यह साक्षी बताती है कि उसकी मम्मी ने रात को 09.30–10.00 बजे के आसपास अपने फोन से कविता को फोन करने वाली बात विवेचक को बता दी थी और यह भी विवेचक को बताना बताती है कि फोन मिलने के बाद कविता ने मम्मी–मम्मी कहा था लेकिन उसका फोन बन्द हो गया था जिसके बाद उसने जीजा हेमन्त भास्कर को फोन किया था, जिस पर उसने धमकाते हुए कहा कि तुमने हमारी किसी मांग को पूरा नहीं किया तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा, यह कहकर फोन काट दिया। यदि विवेचक ने उपरोक्त

सभी बातें उसके बयान में नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। आगे यह साक्षी बताती है कि वे लोग मुल्जिमान के घर रात में 3.00–4.00 बजे गये थे, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर थाना गये थे। विवेचक को कविता की मृत्यु से पहले एक बार मंसूरपुर के किसी स्कूल में टीचर की जॉब के लिए हेमन्त भास्कर को 12 लाख रूपये की की जरूरत होना और सात लाख रूपये उनसे मांगने की बात भी बताना, बताती है और यह भी कहती है कि विवेचक ने यह नहीं लिखा तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। मुकदमे की तहरीर लिखते समय यह साक्षी अपने मम्मी, ताऊ मदन आदि के साथ होना बताती है। परन्तु तहरीर पढ़कर सुनाये जाने पर कहती है कि यदि उसमें कुछ बातें नहीं लिखी है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। यह साक्षी भी अपनी बहन की शादी, शादी डॉट कॉम के जरिये होना बताती है तथा पहली मीटिंग अपनी मौसी के घर होना बताती है। शादी को यह साक्षी सहारनपुर नवीन नगर शिव मन्दिर में होना तथा खुद भी उसमें शामिल होना बताती है। प्रवीन का नौकरी करना तो यह साक्षी बताती है लेकिन यह नहीं बता पाती कि वह तेलंगाना में करता है या कहीं ओर करता है। यह साक्षी बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार करती है कि प्रवीन की शादी उससे न होने के कारण कविता अवसाद में थी।

14. अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–4 डाक्टर रूचिन यादव** द्वारा अपने सशपथ बयान के माध्यम से कथन किया गया है कि दिनांक 13.07.21 को वह सी.एच.सी. सरसावा पर बतौर चिकित्सा अधिकारी नियुक्त था। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस सहारनपुर पर थी। उस दिन समय 4:50 पी.एम. पर सी.सी. 1042 रीता तथा सी.पी. 1186 विकास थाना सदर बाजार सहारनपुर मृतका कविता का शव व 10 पुलिस प्रपत्र के साथ शव के शव विच्छेदन हेतु लाए थे। मृतका कविता के शव का शिनाख्त गंगाराम पुत्र स्वर्गीय श्रीराम ग्राम रामपुर नगली जिला मुजफ्फरनगर तथा रामनाथ पुत्र श्रीराम निवासी मोहल्ला कड़च ज्वालापुर हरिद्वार ने की थी। मृतका कविता के शव विच्छेदन करने के लिए पैनल में उसके साथ डॉक्टर अनुराग त्यागी तथा महिला चिकित्साधिकारी दीपिका भी थे। शव का विच्छेदन परीक्षण 5 पी.एम. पर शुरू किया था एवं 5:40 पी.एम. पर पूरा किया था। शव में पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी। बॉडी में विघटन का कोई चिह्न नहीं था। मुंह (मुख) बंद था। दोनों हाथों के नाखून में नीलापन (cyanosed) थे। Ante Morterm Injuries:–1–Ligature mark oblique Non continuous placed high up in neck between chin and larynx in size 16 cm x 1 cm on front of neck, 5 cm below chin 4 cm below outer angle of right mandible, 6 cm below outer angle of left mandible and 7 cm below left ear.

2. Sub cutaneous tissue under mark white hard glisting.

विसरा परीक्षण के लिये 1. जार ए– Stomach tissue and contains, 2. जार बी– Piece of Intestine, 3. जार सी– Piece of Liver, 4. जार डी– Piece of Spleen, 5. जार ई–Piece of Kidney, 6. जार एफ– Blood सभी नमूने 6 सील बंद जार में नमूना मोहर के साथ सील कर साथ आए कांस्टेबल को दिया था। आंतरिक परीक्षणः मस्तिष्क झिल्लियों में मस्तिष्क कन्जेस्टेड था। दोनों फेफड़ों कन्जेस्टेड थे। हृदय का बायां भाग खाली था एवं दाया भाग भरा था। स्टमक वॉल कन्जेस्टेड थे। अमाशय में 150 एम. एल जेली जैसा द्रव्य था। छोटी आंत में काइम एंड गैसेस थी, बड़ी आंत में मल व गैसेस थी। लीवर व गाल ब्लैडर,

स्प्लीन, पेनक्रियाज दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। मूत्राशय खाली था। महिला चिकित्सक द्वारा भी परीक्षण के लिए नमूना लिया गया था। मृत्यु का संभावित समय विदीन वन डे था। मृत्यु का कारण दम घुटना था जो एन्टी मॉर्टम हैन्गिंग के कारण था। शव के साथ आए सभी पुलिस प्रपत्र को उसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के बाद सील बंद कवर मय दो सील बंद लिफाफे के साथ आयी लेडी कांस्टेबिल को सौंप दिया था। पत्रावली पर कागज संख्या 11/9 व 11/10 मृतका कविता की पी.एम. रिपोर्ट है जो उसके द्वारा तैयार की गई थी जो उसके हस्तलेख में है, जिस पर उसके व अन्य पैनल के डॉक्टर अनुराग त्यागी एवं डॉक्टर दीपिका के हस्ताक्षर हैं जिसे उसने शिनाख्त किया। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। मृतका की मौत दिनांक 12.07.2021 की रात्रि 10:00 बजे से 12:00 के बीच होना संभव है।

उक्त साक्षी ने अपनी **जिरह** में बयान किया है कि उसने मृतका के शरीर पर कोई Voilence के चिन्ह या चोट नहीं पाई, न ही कोई संघर्ष के मार्क थे। पोस्टमार्टम के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण hanging पाया गया है और उसके शरीर से कोई जहर के लक्षण प्रतीत नहीं पाये गये हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 19.03.2024 के अनुसार स्टमक का टुकड़ा अर्न्तवस्तु सहित, आंत का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा, किडनी का टुकड़ा, स्पीलिन का टुकड़ा व रक्त के नमुने में कोई रसायनिक विष नहीं पाया गया।

15. अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–5 हेड कांस्टेबल अनूप सिंह** द्वारा अपने सशपथ बयान के माध्यम से कथन किया गया है कि दिनांक 13.07.21 को थाना सदर बाजार सहारनपुर पर तैनाती के दौरान उस दिन उसने वादिया शिक्षा की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 316/21 धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० तथा 3/4 डी.पी. एक्ट में बनाम हेमन्त भास्कर आदि दर्ज किया था जिसका खुलासा जीडी नंबर 44 समय 12:30 बजे दिनांक 13.7.21 पर किया गया था। पत्रावली पर कागज संख्या 5/1 व 5/2 चिक एफ. आई. आर है। उसके द्वारा पंजीकृत की गई है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया है। क्योंकि चिक पर गवाह के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, न ही मूल चिक न्यायालय के समक्ष मौजूद है। पत्रावली पर कागज संख्या 4/1, 4/2, 4/3 मूल चिक एफ.आई.आर है सहवन गलती से 5/1 व 5/2 पर **प्रदर्श क–3** डाल दिया गया था जिसे कागज सं– 4/1 ता 4/3 पर पढ़ा जाए। पत्रावली पर कागज संख्या 5/3 जी.डी. नंबर 44 है जिससे उसके द्वारा उक्त मुकदमें का खुलासा किया गया है जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। प्रदर्श डालने पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गई कि पेपर नं 5/3 पर ना तो किसी के हस्ताक्षर हैं न ही मूज जी.डी. न्यायालय में मौजूद है और ना ही उक्त पेपर का क्या स्रोत है। उसके द्वारा चिक एफ.आई.आर पर उसके हस्ताक्षर है उक्त जी.डी. भी कम्पयूटराईज्ड है।

16. अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–6 राहुल सिंह, नायब तहसीलदार** ने अपने सशपथ बयान के माध्यम से कथन किया कि दिनांक 12.07.21 को तहसील सदर सहारनपुर पर बतौर नायब तहसीलदार तैनाती के दौरान उस दिन उसे एस.डी.एम. सदर द्वारा मृतका कविता पत्नी हेमन्त निवासी नवीन नगर थाना सदर जनपद सहारनपुर का पंचायतनामा भरने के लिये निर्देशित किया गया था जिस पर वह मृतका कविता का पंचायतनामा भरने हेतु एस.बी.डी. अस्पताल सहारनपुर गया था। वहां पर मृतका कविता के परिजन उपनिरीक्षक अजेन्द्र सिंह तथा महिला कांस्टेबिल रीता, कांस्टेबिल विकास की उपस्थिति में उसके द्वारा मृतका कविता का पंचायतनामा बोल बोल कर उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह द्वारा तैयार कराया था। महिला कांस्टेबिल रीता द्वारा मृतका का शव उलट पलट कर देखा गया था मृतका की गर्दन पर बाई तरफ (यू) के

आकार का लाल नीला निशान था> उसके द्वारा पंच नियुक्त किये गये थे। पंचो की राय में कविता की मृत्यु फांसी लगने के कारण हुई थी। उसकी राय में कविता की मृत्यु गला घुटने के कारण होती प्रतीत हुई थी, सही कारण जानने के लिये मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम कराने के लिये शव को सील सर्वे मोहर कर पंचायतनामा व उसके साथ 7 (सात) अन्य प्रपत्र महिला कांस्टेबिल रीता के सुपुर्द किये गये थे। पत्रावली पर कागज से 11/6, 11/8 कविता मृतका का पंचायतनामा है जो उसने बोल–बोलकर एस.आई. गजेन्द्र से तैयार कराया था। उसके हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया है। पत्रावली पर कागज संख्या 11/2 फोटो लाश, कागज से 11/3 फार्म सं० 13, 11/4 चिट्ठी आर.आई., 11/5 चिट्ठी सी.एम.ओ. है जो उसके द्वारा पंचायत नामे के साथ संलग्न कर भेजे गये थे जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–6** ता **प्रदर्श क–9** डाला गया।

उक्त साक्षी ने अपनी **जिरह** में बताया है कि अपनी राय में कविता की मृत्यु दम घुटने के कारण बतायी है। यह साक्षी यह भी बताता है कि मृतका के शरीर को कब्जे में लेकर पंचनामा कराया गया।

17. अभियोजन साक्षी **पी0डब्ल्यू0–7 कांस्टेबल 1042 रीता** ने अपने सशपथ बयान के माध्यम से बताया कि दिनांक 13.07.21 को थाना सदर बाजार सहारनपुर पर बतौर महिला कांस्टेबिल तैनाती के दौरान उस दिन थाने पर वादनी श्रीमती शिक्षा पत्नी गंगा राम द्वारा अपनी पुत्री कविता की ससुराल वालों द्वारा दहेज मृत्यु होने का मु०अ०सं० 316/21, धारा 498 ए, 304 बी आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम हेमन्त भास्कर आदि के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। सूचना मेमो आने पर वह व कांस्टेबल विकास एस.बी.डी. अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे थे जहां पर पंचायतनामा की कार्यवाही नायब तहसीलदार श्री राहुल सिंह द्वारा कराई गयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त मृतका कविता का शव सील सर्वे मोहर करके दीगर कागजात के साथ पोस्टमार्टम हेतु उसके व विकास की सुपुर्दगी में दिया गया था। कविता के शव को वे लोग लेकर पोस्टमार्टम हाऊस लेकर आये थे। जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू.–8 डाक्टर दीपिका सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.07.2021 को महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर के पद पर तैनाती के दौरान उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्ट मॉर्टम हाऊस पर सी.एम.ओ. के निर्देशानुसार पैनल में थी। उस दिन मृतका कविता पत्नी हेमन्त भास्कर निवासी नवीन नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर उम्र लगभग 29 वर्ष का शव पोस्टमार्टम हेतु महिला कांस्टेबल रीता व कांस्टेबल विकास लेकर आये थे। वह पोस्टमार्टम करने वाले पैनल में थी। पीड़िता/मृतका के जनअंग के ऊपर बाहरी एवं अन्दरूनी कोई चोट या ब्लीडिंग नहीं दिख रही थी न ही पाई गयी थी। बच्चेदानी में कोई भ्रूण नहीं था। पोस्टमार्टम के द्वारा मृतका के योनि, मुख, गर्भाशयों एवं गुदा एवं Oral, Brest, Veginal rectl and two veginal spamer and litts का नमूना लेकर सील बन्द लिफाफे में उसके द्वारा महिला कांस्टेबल के सुपुर्द किया गया था। यह नमुना उसके द्वारा ही लिया गया था एवं फोरेंसिक लैब हेतु भेजा गया था। कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 उसके सामने है जिस पर उसकी ओपिनियन/फाईडिंग जो उसके द्वारा दी गयी थी उसके लेख व हस्ताक्षर है। प्रदर्श क–2 डाक्टर रुचिन यादव द्वारा तैयार की गयी थी।

19. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू.–9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.07.2021 को थाना सदर बाजार जनपर सहारनपुर पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान उस दिन सूचना मेमो दिनांकि 12.07.2021 के आधार पर मृतका कविता का पंचायतनामा कार्यवाही के लिये एस.बी.डी. अस्पताल सहारनपुर महिला कांस्टेबल रीता व कांस्टेबल के साथ गया था तो पता लगा कि मृतका का विवाह केवल एक वर्ष पूर्व हुआ है इसलिये मृतका का पंचायतनामा मैजिस्ट्रेट द्वारा भरा जायेगा। इसलिये उसे विवेचक द्वारा नगर मैजिस्ट्रेट को मृतका कविता का पंचायतनामा भरने हेतु मैजिस्ट्रेट को पत्र दिया थी। नगर मैजिस्ट्रेट द्वारा नायब तहसीलदार सदर श्री राहुल कुमार को नियुक्त किया गया और मृतका कविता की पंचायतनामा की कार्यवाही नायब तहसीलदार राहुल सिंह द्वारा बोल–बोल कर उससे लिखाई थी। पत्रावली पर संलग्न **प्रदर्श क–5** मूल पंचायतनामा है जिसमें राय पंचान को छोडकर शेष लेख उसके हस्तलेख में है जिस पर तहसीलदार नायब के हस्ताक्षर हैं। पंचायत नामा की कार्यवाही के बाद शव को कपड़े में रखकर सील सर्वे कर मय समस्त कागजात के महिला कांस्टेबल रीता व कांस्टेबल विकास को पोस्टमार्टम हेतु सुपुर्द किया था। दिनांक 13.07.2021 को मृतका के परिजनों की उपस्थिति में घटनास्थल से मृतका की ससुराल मौहल्ला नवीन नगर सहारनपुर अभियुक्त के घर के कमरे में पड़े डबल बैड के ऊपर से दो रूपट्टे जनाने जिनमें आपस से गांठ लगी थी, एक हल्का पीला गुलाबी व दूसरा पीले रंग का था। दोनो रूपट्टो की लम्बाई मिलाकर करीब साढे दस फिट थी जिसको रूबरू गवाहान रामनाथ और गंगाराम कब्जे में लिया गया था, सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया था। पत्रावली पर कागज संख्या 10 फर्द बाबत लेने कब्जे दो रूपट्टा जनाना सम्बन्धित मु०अ०सं० 316/21 है जो उसके हस्तलेख में है जिस पर गवाहान गंगाराम व रामनाथ के हस्ताक्षर है, उसके भी हस्ताक्षर हैं जिनकी वह पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया है। आज न्यायालय में एक सील बन्द पुलिन्दा सम्बन्धित मु०अ०सं० 316/21 धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 द० अधि० बनाम हेमन्त आदि से सम्बन्धित है व यही इबारत अंकित है। कपड़ा पुलिन्दा पर न्यायालय की मुहर हस्ताक्षर है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया है। इस पर उसके व गवाहान के हस्ताक्षर है। कपडा पुलिन्दा पर गवाहान के हस्ताक्षर हैं तथा एक कागज की चिट भी लगी है जिस पर केस क्रमांक 4430–13+ 21 जिला सहारनपुर, थाना सदर बाजार मु०अ०सं० 316/21 धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 द०अधि० बनाम हेमन्त कुमार (2) दिनांक 16.09.21 लिखा है। कपड़ा पुलिन्दा पर **वस्तु प्रदर्श–1** तथा सील बन्द पुलिन्दा के अन्दर से निकले रूपट्टों पर **वस्तु प्रदर्श–2** व **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया है जिन्हें देखकर गवाह ने बताया कि ये वही रूपट्टे है जो घटनास्थल से बरामद किये गये थे।

उक्त साक्षी ने **अपनी जिरह** में बताया है कि वस्तु प्रदर्श 2 व 3 के माल पुलिन्दा पर उसकी सील लगी थी, जिसका नमूना मोहर बनाया गया था। यह साक्षी यह भी बताता है कि जब पंचनामा भरा गया तब एफ.आई.आर. उसके पास नहीं थी और जब शव पोस्टमार्टम भेजने के समय भी एफ.आई.आर. उसके पास नहीं थी। इसी वजह से पंचनामा में धारा व बनाम अंकित नहीं किया जा सका। यह साक्षी यह भी बताता है कि विवेचक की मौजूदगी में उसने दुपट्टें कब्जे में लिये थे। विवेचक के हस्ताक्षर फर्द दुपट्टें पर नहीं हुए थे। दुपट्टें घटनास्थल पर बेड से बरामद हुए थे। उसे जानकारी नहीं है कि जहाँ से दुपट्टें बरामद हुए थे वह विवेचक ने नक्शे पर दिखाये या नहीं।

20. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू.–10 दुर्गा प्रसाद तिवारी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.07.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सहारनपुर के पद पर तैनाती के दौरान उस दिन उसे मुकदमा अपराध संख्या 316/21 धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट बनाम हेमन्त भास्कर आदि की विवेचना प्राप्त हुई जिसका पर्चा नंबर प्रथम दिनांक 13.07.2021 को उसके द्वारा किता किया गया जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादिनी श्रीमती शिक्षा, बयान गंगाराम, बयान गवाह शालू व बयान सतेन्द्र कुमार, बयान रामनाथ, बयान अंकित, बयान अरविंद, बयान ब्रिजेश देवी तथा बयान तहरीर लेखक थाना ब्रजेश कुमार अंकित किए ततपश्चात् वादिनी की निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पत्रावली पर कागज संख्या 6 ख देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही नक्शा नजरी घटनास्थल है जो उसके द्वारा वादिनी की निशानदेही पर घटनास्थल पर तैयार किया गया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया है। दिनांक 14.7.21 को उसके द्वारा सीडी का पर्चा नंबर–2 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, शिक्षा, चतर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना थाना सदर बाजार से प्राप्त हुई थाना सदर बाजार पर आकर अभियुक्तगणों के दाखिला नकल रपट का अवलोकन कर अंकित किया गया तत्पश्चात् अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, चतर सिंह व शिक्षा का बयान अंकित करते हुए माननीय न्यायालय से रिमांड हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक 15.7.21 को सीडी का पर्चा नंबर–3 किता किया जिसमें पोस्टमार्टम कराने वाले कर्मचारीगण महिला कांस्टेबल रीता, कांस्टेबल विकास का बयान अंकित किया गया, थाने से प्राप्त दो अदद रूपट्टे की फर्द मृतका के पोस्टमार्टम की कार्बन प्रति प्राप्त हुई। नकल फर्द की कॉपी सीडी में की गई, नकल पंचायतनामा करने वाले उपनिरीक्षक का बयान लिया गया जिन्होंने घटनास्थल से रूपट्टा लेकर फर्द बनाने की पुष्टि की। दिनांक 19.7.21 को पर्चा नंबर–4 किता किया गया जिसमें वादिनी मुकदमा व उसके पति द्वारा दहेज में दिए गए सामान की सूची व अपनी पुत्री के खाते में ट्रांसफर किए गए रूपयों की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई दहेज की सूची संबंधी विवरण सीडी में अंकित किया गया तथा वादी द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर से कविता के ससुर के खाते में रूपये ट्रांसफर करने संबंधी विवरण अंकित किया गया। दिनांक 24.7.21 को सीडी का पर्चा नंबर–5 किता किया गया जिसमें वादिया द्वारा अपनी पुत्री की शादी का कार्ड उपलब्ध कराया गया जिसमें शादी का दिनांक 02.07.20 होना पाया गया। उक्त का विवरण अंकित करते हुए संलग्न सीडी अंकित किया गया। दिनांक 26.7.21 को पर्चा नंबर–6 किता किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर महोदय से प्राप्त शपथ पत्र ओमपाल, कुसुम देवी, अंजू गर्ग, रीता जोशी, प्रदीप नोटियाल प्राप्त हुए। जिनका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया, साथ में संलग्न प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मांडू वाला प्राप्त हुआ, अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया। दिनांक 02.08.21 को पर्चा नंबर–7 किता किया गया जिसमें अभियोग से संबंधित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल होने संबंधी प्रपत्र प्राप्त हुए जिन्हें अवलोकन कर सीडी में संलग्न किया गया। पर्चा नंबर–8 दिनांक 07.08.21 को किता किय गया जिसमें गवाह गीता व गवाह ब्रिजेश कुमार का बयान अंकित किया गया। पर्चा नंबर–9 दिनांक 16.08.21 को किता किया गया जिसमें शपथ पत्र के गवाह रीता जोशी, अंजू गर्ग, कुसुम देवी का बयान अंकित किया गया। दिनांक 18.08.21 को पर्चा नंबर–10 किता किया गया जिसमें बयान स्वतंत्र बयान बिजेन्द्र, कली राम, किशन लाल, पवन कुमार, धर्मवीर, रघुवीर सिंह लिए गए व बयान का अवलोकन किया

गया। पर्चा नंबर–11 दिनांक 27.08.21 को किता किया गया जिसमें बयान गवाहान कविता, श्रीमती प्रवेश, श्रीमती सोना व ममता, सुमन देवी, मीनावती, चंद्रभान, सत्यपाल, नरेश पाल, अमन कुमार अंकित किए गए। विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्तगण प्रवीण व बेबी की नामजदगी गलत पाई गई। दिनांक 03.08.21 को पर्चा नंबर–12 किता किया गया, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरगण की तलाश की गई। पर्चा नंबर–13 दिनांक 03.09.21 को किता किया गया जिसमें पंचायतनामा करने वाले नायब तहसीलदार राहुल सिंह का बयान अंकित किया गया, बयान प्रवीन और अंजना सिंह अंकित किया गया। पर्चा नंबर–14 दिनांक 06.09.21 को किता किया गया इसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रूचिन यादव, डॉक्टर दीपिका सिंह, डॉक्टर अनुराग त्यागी के बयान अंकित किए गए। दिनांक 12.09.21 को पर्चा नंबर–15 किता किया गया जिसमें मुकदमे से संबंधित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल करने वाले राहुल का बयान अंकित किया गया। दिनांक 13.09.21 को पर्चा नंबर–16 किता किया गया जिसमें हेमन्त भास्कर, शिक्षा, चतर सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा 498 ए, 304 बी व 3/4 द०अधि० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पत्रावली पर कागज संख्या 3/1 ता 3/9 उक्त अभियोग का आरोप पत्र है जो उसके द्वारा तैयार कराया गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसको वह शनाख्त करता है। इस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया है।

उक्त साक्षी ने **अपनी जिरह** में बताया है कि उसके ज्ञान में यह बात नहीं आई थी कि यह विवाह शादी डॉट कॉम से हुआ था या नहीं। दुपट्टें घटनास्थल पर उसी दिन कब्जे में लिये गये थे, जिस दिन की घटना है। इसका उल्लेख पर्चा संख्या 1 में नहीं है न ही कोई फर्द पर्चा संख्या 1 के साथ संलग्न है। यह दुपट्टें उसने विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे थे। उसने वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इस मुकदमे में मृतका को अभियुक्त हेमन्त भास्कर द्वारा ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसकी सूचना मिमो द्वारा थाना को दी गयी थी। घटनास्थल (1) को यह साक्षी मकान के प्रथम तल पर होना तथा इसी कमरे बाहर लेटरिंग व रसोई बनी होना बताता है और यह भी बताता है कि इस नक्शे में उसके द्वारा दुपट्टें पड़े होने का कोई निशान नहीं दिखाया गया है। बेड के बराबर में एक कुर्सी व मेज रखी होना भी यह साक्षी बताता है। शादी का खर्चा किस ने किया था इस बाबत टेंट वाले व हलवाई से पुछताछ करने से यह साक्षी इंकार करता है। कविता के खाते में कोई एन्ट्री होने से यह साक्षी इंकार करता है लेकिन दिनांक 04.06.2021 12 हजार रूपये, दिनांक 05.06.2021 को 06 हजार रूपये, दिनांक 05.06.2021 को 01 हजार रूपये उसके खाते में वादिनी द्वारा ट्रांसफर किया जाना बताता है। मृतका कविता द्वारा दिनांक 05.06.2021 को अपने ससुर के खाते में 19 हजार रूपये ट्रांसफर करना बताया है और यह बताने से यह साक्षी इंकार करता है कि शादी वाले दिन फेरों के समय ही मुल्जिमान ने कार की मांग की थी, वादी पक्ष द्वारा कमरे में ले जाकर अभियुक्तगण को समझाने से भी यह साक्षी इंकार करता है और लॉकडाउन खुलने पर गाड़ी की पूरी पूरी व्यवस्था करने से भी इंकार करता है। नौकरी के लिए सात लाख रूपये की व्यवस्था करने की बात बताने से भी इंकार करता है। 19 हजार रूपये ट्रांसफर व 16 हजार रूपये नकद देने की बाबत भी यह साक्षी बताने से इंकार करता है। इसी प्रकार से हेमन्त की नौकरी लगवाने में सात लाख रूपये देने से भी यह गवाह इंकार करता है। यह साक्षी गंगाराम द्वारा उसे यह बात बताने कि शादी के एक–डेढ माह बाद ही उसने चतर सिंह व हेमन्त के कहने पर एलईडी जो शादी में दी थी उसे पुनः

बदलवाकर दुसरी एलईडी दी थी। गंगाराम द्वारा भी 12 लाख रूपये में से 07 लाख रूपये अभियुक्तगण ने उनसे मांगने की बात से यह साक्षी बताने से इंकार करता है। यह बताता है कि गंगाराम ने उसे यह बता दिया था कि कविता की ससुराल में एसी लगवाने हेतु कविता के खाते में 35 हजार रूपये ट्रांसफर किये थे। आगे यह साक्षी बताता है कि दुपट्टें कब्जे में लेते वक्त व घटनास्थल के निरीक्षण के समय फोरेंसिक टीम नहीं बुलाई थी।

21. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू.–11 शुभम सहायक एसोसिएट स्टेट बैंक ब्रांच खतौली मुजफ्फरनगर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह इस पद पर ढाई साल से इस पद पर तैनात है। वह आज जिस कविता पुत्री गंगाराम निवासी ग्राम रायपुर नगली थाना रतनपुरी खतौली मुजफ्फरनगर के अकाउंट से संबंधित 01.06.2021 से 30.06.2021 तक अकाउंट नंबर 11607959820 की अकाउंट स्टेटमेंट लेकर आया है जो कंप्यूटराइज्ड प्रति है। यह प्रति रिकॉर्ड के अनुसार कविता के अकाउंट में हमारी बैंक की शाखा में कंप्यूटर पर जो मूल रिकॉर्ड है हूबहू उसके अनुसार साथ लेकर आया है जिस पर प्रबंधक विनेश कुमार के हस्ताक्षर हैं तथा उनकी शाखा की मोहर है। वह हस्ताक्षरित प्रति बैंक के कंप्यूटर से निकलवा कर हस्ताक्षर करा कर ही लाया है। जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–4** डाला गया है। आज कविता के अकाउंट के जो स्टेटमेंट लेकर आया है वह दिनांक 04.06.2021 को बारह हजार रूपये द्वारा यू.पी.आई. सचिन के तथा 05.06.2021 को छः हजार रूपये द्वारा यू.पी.आई. गंगा राम तथा 05.06.2021 को ही एक हजार रूपये द्वारा यू.पी.आई. गंगा राम के द्वारा इस खाते में जमा (ट्रांसफर) कराए गए और कुल बैलेंस उन्नीस हजार सात सौ चौसठ रूपये 34 पैसे था। 05.06.2021 को कविता के इस अकाउंट से उन्नीस हजार रूपये द्वारा यू.पी.आई. ट्रांसफर किए गए थे जिसका रेफरेंस नंबर वस्तु प्रदर्श–4 में डिस्क्रिप्शन के कॉलम में दर्ज है जिसके बाद कुल बैलेंस सात सौ चौसठ रूपये चौतींस पैसे शेष थे।

22. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू.–12 मनिन्दर चीफ मैनेजर, पंजाब नैशनल बैंक न्यू आवास विकास** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह इस ब्रांच में जून, 2022 से तैनात है। खाता संख्या 1709000108051806 चतर सिंह तथा श्रीमती शिक्षा देवी का ज्वाईंट खाता है जो उनकी शाखा आवास विकास बैंक में संचालित हो रहा है। वह उक्त खाता की दिनांक 05.06.2021 से 13.07.2021 तक की स्टेटमैंट लेकर आया है जो कम्प्यूटराईज्ड प्रिंट है, जिस पर उसके हस्ताक्षर व बैंक की मुहर है, जिसकी उसने पुष्टि की, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–5** डाला गया। इस खाता नंबर में दिनांक 05.06.2021 को द्वारा यू.पी.आई. 19,000/–रूपये कविता पुत्र गंगा राम के खाते से ट्रांस्फर होकर जमा हुए थे, जो वस्तु प्रदर्श–5 पर दर्शित है।

23. अभियोजन की ओर से साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात बचाव पक्ष/अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, चतर सिंह व श्रीमती शिक्षा पत्नी चतर सिंह ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि घटना गलत है। अभियुक्तगण उपरोक्त ने साक्षी पी.डब्ल्यू.–1, पी.डब्ल्यू.–2, पी.डब्ल्यू.–3, पी.डब्ल्यू.–4, पी.डब्ल्यू.–5, पी.डब्ल्यू.–6, पी.डब्ल्यू.–7, पी.डब्ल्यू.–8, पी.डब्ल्यू.–9 व पी.डब्ल्यू.–11 के बयानों के संबंध में कथन किया है कि बयानात गलत दिये हैं। अभियुक्तगण ने साक्षी पी.डब्ल्यू.–10 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत विवेचना की गई और गलत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण ने अपने विशेष कथन

में बयान किया कि वह निर्दोष हैं और तहरीरी जवाब दाखिल करेंगे।

दिनांक 06.04.2026 को न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–12 के बयान के संबंध में अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किये गये। अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, चतर सिंह व श्रीमती शिक्षा पत्नी चतर सिंह ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि घटना गलत है और कविता के पिता ने ए.सी. लगाने के लिए कविता के खाते में 35,000/–रूपये ट्रांसफर नहीं किये, न ही उनकी कोई ऐसी मांग थी। वादिनी ने कोई फोन दिनांक 12.07.2021 को 03.00 बजे नहीं किया, न ही कविता ने कहा कि उसके पति व सास–ससुर उसे मारना चाहते हैं। शेष बाते भी झूठी है। अभियुक्त उपरोक्त ने साक्षी पी.डब्ल्यू.–12 के बयान के संबंध में कथन किया है कि इस साक्षी ने जो कम्प्यूटर स्टेटमेंट प्रिंट दाखिल की है, उसके साथ धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस साक्षी की तैनाती के दौरान इस प्रकार का कोई लेन–देन नहीं हुआ। उक्त एन्ट्री न तो विधिवत साबित की गयी है, न ही सही है। इस एन्ट्री का कोई मतलब दहेज की बाबत लेन–देन से नहीं है। कविता के खाते में किसी लेन–देन की कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण ने अपने विशेष कथन में बयान किया कि वह निर्दोष हैं और उसके यहाँ पहले से ही ए.सी. था, जिसका भुगतान(part) यू.पी.आई. के माध्यम से किया गया है, इस संबंध में बिल तथा अकाउन्ट स्टेटमेंट दाखिल किये हैं।

**24.** अभियुक्त हेमन्त भास्कर की ओर से प्रस्तुत बयान तहरीरी में किये गये कथन इस प्रकार है कि वर्ष 2020 में उसने अपने विवाह हेतु जीवनसाथी डॉट कॉम पर अपना प्रोफाईल बनाया था और कविता का भी प्रोफाईल पूर्व से बना हुआ था। जीवनसाथी डॉट कॉम के माध्यम से उनकी शादी दिनांक 02.07.2020 को शिवमन्दिर नवीन नगर में बिना किसी लेन–देन के सम्पन्न हुई थी जिसमें 30 व्यक्तियों के शामिल होने की परमिशन जिलाधिकारी के यहाँ से ली थी। विवाह का कुल प्रबन्ध उसके पिता द्वारा की गयी थी क्योंकि उसके ससुर गंगराम द्वारा कहा गया था कि वह सहारनपुर में आकर व्यवस्था करने में असमर्थ है। उसका परिवार शिक्षित है और चार बड़ी बहनें हैं जो सभी पढ़ी लिखी है। वह व कविता शादी के बाद नवीन नगर स्थित मकान में ऊपर रहते थे और उसके माता–पिता नीचे रहते थे। विवाह के 2–3 माह बाद ही कविता के कहने से अपना खाना पीना भी ऊपर अलग से कर लिया था। उसके व कविता के मध्य किसी प्रकार का कोई मन मुटाव या झगड़ा नहीं था। उसका भाई जो तेलंगाना में इंजीनियर है वह कभी विशेष ओकेशन पर ही साल में 1–2 बार आता था। माह जून 2021 में उसके छोटे भाई प्रवीन के विवाह की बात अम्बाला में शुरू हुई थी किन्तु कविता व उसके परिजन उसके भाई प्रवीन की शादी कविता की छोटी बहन से कराना चाहते थे, जिसके लिए प्रवीन व उसका परिवार तैयार नहीं था। इसी कारण कविता नाराज रहने लगी थी और जब अम्बाला लड़की देखने गये तो कविता नहीं गयी और रिंग सेरेमनी में भी जाने से इंकार कर दिया था। दिनांक 02.07.2021 को उसके व कविता की शादी की सालगिरह पंजाब होटल सहारनपुर में मनाई गयी थी जिसमें उसके सभी परिजन शामिल थे किन्तु कविता के परिजन शामिल नहीं हुए थे। दिनांक 12.07.2021 को वह जब बाहर से कुछ सामान लेकर ऊपर अपने कमरे पर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द था। आवाज लगाने पर कविता नहीं बोली, ऊपर से देखने पर पता चला कि कविता पंखे से लटकी है। फिर वह जोर से चिल्लाया तो पडोसी भी आ गये थे, जिनकी मदद् से दरवाजे का पल्ला तोड़ा और गेट खोलकर कविता को ऊपर से उतारा। तुरन्तु मौहल्ले के डाक्टर महेन्द्र सिंह बंशी को बुलवाया, जिसने तुरन्त अस्पताल

ले जाने को कहा। अस्पताल में कविता को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के दिनों एल.एन.टी. कम्पनी द्वारा सहारनपुर में बिजली के मीटर लगाये जा रहे थे, जिसमें वह प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसे अन्य किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं थी और न ही उसने कभी कविता या उसके परिजन से पैसों की मांग की। दिनांक 14.06.2020 को बजरिये बिल संख्या 129 एक स्पिलिट ए.सी. मय स्टेबलाईजर मैसर्स अंगद ट्रेडिंग कम्पनी से खरीद किया गया था जिसकी कीमत 29,200/–रूपये थी। उसके द्वारा उक्त कीमत 25,000/–रूपये यू.पी.आई. द्वारा अपने खाते से उक्त कम्पनी के आई.डी.बी.आई. बैंक के खाते में ट्रांसफर की गयी थी और शेष धनराशि 4,200/–रूपये उसके द्वारा नकद दी गयी थी। इस संबंध में उसने अपने पी.एन.बी. आवास विकास की खाता संख्या 1709000108033402 की छायाप्रति उक्त बिल के साथ संलग्न की है। उसके पास पहले से ए.सी. था इसलिए उसे किसी ए.सी. की आवश्यकता नहीं थी और न ही उसके ससुर द्वारा ए.सी. की बाबत उसे कोई पैसा दिया गया है।

25. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी के रूप में कुल 03 साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं।

26. बचाव साक्षी **डी.डब्ल्यू.–1 राजेन्द्र कुमार** ने सशपथ बयान किया कि वह 20–25 वर्षों से हलवाई का कार्य करता है। चतर सिंह के पुत्र हेमन्त भास्कर की शादी में उसने ही सारा काम किया था। दिनांक 18.06.2020 को दिनांक 02.07.2020 की शादी के लिए शिव मन्दिर नवीन नगर में बुकिंग की थी। शादी के लिए केटरिंग 30–35 आदमियों के लिए की थी। उन दिनों लॉकडाउन लगा था, शादियाँ शासन की अनुमति से ही होती थी और शादी में लिमिटिड व्यक्ति ही होते थे। इस शादी हेतु जिलाधिकारी द्वारा वर व वधु पक्ष के 30 आदमियों की परमिशन दी गयी थी। यह आदेश उसे चतर सिंह ने दिखाया था। जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त विवाह उसकी मौजूदगी में ही सम्पन्न हुआ था। विवाह का अनुमति पत्र नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा जारी किया गया था, जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। उसके द्वारा अभियुक्त चतर सिंह से बुकिंग संबंधी जो अभिलेख तैयार कराया था उस पर उसके हस्ताक्षर है, प्रमाणित करता है जिस पर **वस्तु प्रदर्श ख–1** डाला गया।

27. बचाव साक्षी **डी.डब्ल्यू.–2 सत्यपाल भारती** ने सशपथ बयान किया कि वह इस केस के मुल्जिमान हेमन्त भास्कर, चतर सिंह व श्रीमती शिक्षा को जानता है, जो उसके पड़ोसी हैं। हेमन्त भास्कर की शादी दिनांक 02.07.2020 को कविता के साथ शिव मन्दिर, नवीन नगर में हुई थी। वह भी इस शादी में शामिल हुआ था। इस शादी में 30 आदमियों की अनुमति चतर सिंह ने ली थी। इस शादी का सारा इन्तजाम चतर सिंह ने किया था। उसके सामने किसी भी दहेज में गाड़ी की मांग नहीं की गयी। चतर सिंह का मकान दो मंजिल है जिसमें भूतल पर चतर सिंह व उसकी पत्नी तथा ऊपर हेमन्त व उसकी पत्नी कविता रहते थे। दोनों मंजिल पर कमरे में ए.सी. लगा था। हेमन्त का छोटा भाई प्रवीन तेलंगाना में इंजीनियर था। उसने सुना था कि कविता अपनी छोटी बहन का रिश्ता प्रवीन से कराना चाहती थी, जिसके लिए प्रवीन नहीं माना। इस बात से हो सकता है कि कविता नाराज हो। कविता की शादी की प्रथम वर्षगांठ पर उसे बुलाया गया था किन्तु वह नहीं गया था उसे अपनी रिश्तेदारी में कुछ काम था। यह वर्षगांठ पंजाब होटल में मनायी गयी थी, जिसमें कविता के घरवाले नहीं आये थे। कविता व हेमन्त के बीच उसने कभी झगड़ा नहीं सुना। दिनांक 12.07.2021 को शाम 09.30 बजे से 10.00 बजे के बीच इनके घर में शोर हुआ, पड़ोसी होने के नाते वह

लोग इकट्ठा होकर वहां गये तो देखा कि कविता ने अन्दर से कमरा बन्द किया हुआ था। हेमन्त कमरा खोलने की कोशिश कर रहा था और दरवाजे पर जोर–जोर से धक्का मार रहा था। फिर हेमन्त ने जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा खुलते ही देखा कि बहु कविता पंखे से लटकी हुई थी। कविता को नीचे उतारा और लोकल डाक्टर को बुलाया तो डाक्टर ने कविता को देखकर उसे तुरन्त बड़े अस्पताल ले जाने के लिए कह दिया। हेमन्त ने तुरन्त एम्बुलेंस बुलायी तथा पुलिस को व कविता के घरवालों को भी सूचित कर दिया। उसके बाद हेमन्त व चतर सिंह, कविता को अस्पताल लेकर गये। इसके बाद उसे नहीं पता कि फिर क्या हुआ।

28. बचाव साक्षी **डी.डब्ल्यू.–3 श्रीमती सुषमा जरोवर** ने सशपथ बयान किया कि वह हेमन्त भास्कर की बहन है। उसके दो भाई है, जिनमें एक हेमन्त भास्कर और एक प्रवीन है। प्रवीन तेलंगाना में घटना से पहले एन.एच.पी.सी. में इंजीनियर था। प्रवीन अविवाहित था। उसके भाई हेमन्त की शादी दिनांक 02.07.2020 को कविता के साथ हुई थी। यह रिश्ता शादी डॉट कॉम के जरिये तय हुआ था। शादी में वह लोग भी शामिल हुए थे। शादी नवीन नगर, शिव मन्दिर में हुई थी। उन दिनों कोविड चल रहा था। शादी के लिए 30 आदमियों की परमिशन मिली थी, जो उसके पापा ने ली थी। शादी का खर्च भी उसके पापा ने ही उठाया था। कविता अपनी बहन शालू से उसके भाई प्रवीन का रिश्ता कराना चाहती थी। प्रवीन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। यह रिश्ता न होने की वजह से कविता व उसके घरवाले नाराज थे। प्रवीन का रिश्ता जून 2021 में अम्बाला से आया था, वह चण्डीगढ़ से आयी थी। जब वह लड़की देखने गये थे तो उसकी भाभी कविता नहीं गयी थी। हेमन्त की शादी की वर्षगांठ पंजाब होटल में मनायी गयी थी। इसमें कविता के घरवाले शामिल नहीं हुए थे। इस प्रोग्राम में फोटो खींचे थे। इस प्रोग्राम में वह भी शामिल हुई थी। उनका मकान दो मंजिला है। कविता और हेमन्त ऊपर की मंजिल पर तथा मम्मी–पापा नीचे की मंजिल पर रहते थे। इस घर में ऊपर–नीचे दोनों जगह किचन है। उनके घर में एक ए.सी. पहले से लगा था तथा एक एयर कंडिशनर जून 2020 में लगा था। प्रवीन का रिश्ता अम्बाला में फाइनल हो गया था।

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 वादी मुकदमा श्रीमती शिक्षा देवी द्वारा अपने साक्ष्य में तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में सिद्ध किया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–4 डाक्टर रूचिन यादव द्वारा अपने साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–5 एच.सी. अनूप सिंह द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–3, मुकदमा कायमी की जी.डी. को प्रदर्श क–4 के रूप में सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–6 नायब तहसीलदार राहुल सिंह द्वारा पंचायतनामा को प्रदर्श क–5, मृतका का फोटो लाश को प्रदर्श क–6, फार्म संख्या–13 को प्रदर्श क–7, चिट्ठी आर.आई. को प्रदर्श क–8 व चिट्ठी सी.एम.ओ. को प्रदर्श क–9 के रूप में सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह द्वारा फर्द बाबत लेने कब्जे दो अदद दुपट्टे जनाने आपस में गांठ लगे हुए को प्रदर्श क–10, न्यायालय में खोला गया एक कपड़ा पुलिन्दा को वस्तु प्रदर्श–1 एवं पुलिन्दे से निकले दो दुपट्टों को क्रमशः वस्तु प्रदर्श–2 व वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–10 दुर्गा प्रसाद तिवारी ए.एस.पी. बलिया द्वारा नक्शा नजरी घटनास्थल को प्रदर्श क–11 व आरोप पत्र–341/21 को प्रदर्श क–12 के रूप में सिद्ध किया गया

है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–11 शुभम, सहायक एसोसिएट स्टेट बैंक ब्रांच खतौली, मुजफ्फरनगर द्वारा मृतका कविता के भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 01.06.2021 से 30.06.2021 तक की स्टेटमेंट को वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में सिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–12 मनिन्दर, चीफ मैनेजर द्वारा चतर सिंह व श्रीमती शिक्षा देवी के बैंक अकाउण्ट Ledger Inquiry की प्रमाणित प्रति को वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में सिद्ध किया गया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को साबित किया है तथा घटना को संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराध में दोषसिद्ध किया जाये।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उनके द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री कविता से दहेज अथवा कार नहीं मांगी गई, न ही उसे उक्त मांग की बाबत प्रताड़ित किया गया और न ही दिनांक 12.07.2021 को उसकी मृत्यु कारित की। अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध किया गया।

31. विधि व्यवस्था **दिनेश प्रति उ0प्र0 राज्य 2009 (67) ए.सी.सी. (एस.सी.) 734** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि ''अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्यों से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को सन्देह से परे साबित करना चाहिए।'' अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा अभियोजन कथानक को सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

32. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका कविता को दिये गये दान दहेज से उसके ससुरालीजन खुश नहीं थे जिसे लेकर मृतका का उत्पीडन करते थे तथा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे, उक्त मांग पूरी न होने पर दिनांक 12.07.2021 को अभियुक्तगण ने मृतका कविता की हत्या कारित की।

33. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर व विधिक राय मशवरा से काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध किया गया।

34. उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 12.07.2021 के समय रात्रि 12.00 बजे की बतायी गयी है तथा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.07.2021 को समय 12.30 बजे लगभग 12 घण्टे की देरी से दर्ज करायी गयी है। इस बाबत अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जब वादी मुकदमा अपनी पुत्री कविता के ससुराल गयी तो उसे वहां कोई नहीं मिला और थाना सदर की पुलिस से पता चला कि कविता की लाश पोस्टमार्टम हाऊस जेल चुंगी पर है। उसके बाद मृतका का अंतिम संस्कार किया व उसके शोक में डूबी रही, जिस कारण उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुकेश बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं अन्य ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 2161** के मामले में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजन

द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, तो ऐसे में मात्र इसी आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत घटना में वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु हुई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को थी और थाना सदर से ही वादी मुकदमा को पता चला था कि उसकी पुत्री कविता की लाश पोस्टमार्टम हाऊस जेल चुंगी पर है। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति की पुत्री की मृत्यु हो गयी हो तो वह इस हालत में नहीं होता कि उसकी तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवा दे। इन परिस्थितियों में अभियोजन द्वारा देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने का पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

**35. जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर लगे आरोप का प्रश्न है, न्यायालय के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क–का अवलोकन किया गया,** जिसमें पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार, ''जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''क्रूरता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उसी के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति की ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।''

**36. धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 के आवश्यक तत्वों के साबित होने की दशा में ही धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की जा सकती है किः–**

1– किसी स्त्री की मृत्यु को दग्ध उपहतियों के द्वारा या शारीरिक उपहतियों के द्वारा कारित किया गया हो, अथवा ऐसी मृत्यु असामान्य परिस्थिति में कारित हुयी हो।

2– ऐसी मृत्यु स्त्री के विवाह के सात वर्ष के भीतर हुयी हो।

3– उस स्त्री के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता अथवा उत्पीड़न कारित किया गया हो।

4– ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न दहेज के लिये या दहेज के किसी मांग के लिये की गयी हो, तथा

5– ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न मृतका की मृत्यु के शीघ्र पूर्व ही हुआ हो।

**37.** उपरोक्त परिस्थितियों के समाधान की दशा में धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन यह उपधारणा की जायेगी कि उस स्त्री की हत्या दहेज की मांग पूरी न किये जाने के कारण उसके पति व अन्य रिश्तेदारों द्वारा कारित की गयी है, जबकि प्रतिकूल सिद्धि का भार अभियुक्त पर होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **मेजर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2015) 2 एस 0 सी0 सी0 (क्रिमिनल) 768** में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा के लिये निम्न् तीन आवश्यक तथ्यों की उपस्थिति प्रतिपादित किया गया है– **प्रथम–** किसी महिला की मृत्यु

शारीरिक क्षति, दहन व असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। **द्वितीय–** यह मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो। **तृतीय–** यह साबित किया जाये कि उसे पति अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में निर्दयता के अध्यधीन किया गया हो। यदि एक भी तथ्य उपस्थित नहीं है तो दहेज हत्या की उपधारणा नहीं की जा सकती है। यही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **बलजीत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2004 यू0 पी0 क्रिमिनल रूलिंग पृष्ठ 436** में भी व्यक्त किया गया है। निर्णयज विधि **राजस्थान राज्य बनाम तेग बहादुर 2005 एस 0 सी0 सी0 (क्रिमिनल) 218** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 तत्वों की उपस्थिति सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है एवं यदि एक भी तत्व अनुपस्थित होता है तो अभियुक्त को धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 के आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। विधि व्यवस्था **दिनेश बनाम हरियाणा राज्य 2014(86) ए.सी.सी. पृष्ठ 288** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा पर विस्तृत विवेचन करते हुये, मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के उत्पीड़न का सापेक्ष विश्लेषण किया गया है। विधि व्यवस्था **रमईया उर्फ रामा बनाम कर्नाटक राज्य 2014 (87) ए.सी.सी. पृष्ठ 280** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जहां दहेज की मांग और उस मांग के आधार पर उत्पीड़न सिद्ध न हो, वहां धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

**38.** उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में कथित अपराध की प्रकृति तथा उक्त अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता व भूमिका का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है तथा इस प्रश्न के निर्धारण के पूर्व तत्सम्बन्धी विधिक स्थिति का अनुशीलन अपेक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **Tika Vs. State of U.P AIR 1974 (SC) 155** के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन को अपना मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्व करना अनिवार्य है, बचाव का दोष सारवान नहीं है। निर्णयज विधि **Kali Ram Vs State of HPAIR 1973 (SC) 2773** के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि 'One of the cardinal principles, which has always to be kept in view in our system of administration of Justice for criminal cases, is that a person arraigned as an accused is presumed to be innocent, unless that presumption is rebutted by the prosecution by production of evidence, which shows him to be guilty of the offence, by which he has been charged.'

**39.** उपरोक्त सुस्थापित विधिक सिद्वान्त के प्रकाश में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई। इस बाबत अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि मृतका कविता की शादी दिनांक 02.07.2020 को हेमन्त भास्कर पुत्र चतर सिंह के साथ हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि शादी के तथ्य पर अभियुक्तगण को भी इंकार नहीं है और उसके द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियुक्त हेमन्त भास्कर को उसका पति बताया गया है और साथ ही साथ अभियोजन साक्षीगण द्वारा भी अपने–अपने बयानों में मृतका कविता का विवाह दिनांक 02.07.2020 को अभियुक्त हेमन्त भास्कर के साथ होना बताया है। निर्विवाद रूप से घटना दिनांक 12.07.2021 की है जिसका अर्थ यह है कि मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई थी।

40. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में दग्ध उपहतियों या शारीरिक उपहति के द्वारा कारित की गयी। इस बाबत बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि वह साथ में रहती थी, मृतका ने स्वयं आत्महत्या की है। इसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतका की हत्या की हुई है जो कि अभियुक्तगण द्वारा की गयी है।

41. पत्रावली पर उपलब्ध मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के अनुसार मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व Hanging से दम घुटने के कारण हुई। मृतका के पंचनामा प्रदर्श क–5 के अनुसार भी राय पंचान में मृतका की मृत्यु उसका गला घुटने से होना प्रतीत है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–4 डाक्टर रूचिन यादव जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया है, के अनुसार मृतका की मृत्यु दम घुटने के कारण जो कि मृत्यु पूर्व Hanging से होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से भी मृतका की मृत्यु सामान्य से इतर परिस्थितियों में होना सिद्ध होता है। इस प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है।

42. जहाँ तक मृतका के साथ दहेज के लिए अथवा दहेज की मांग के लिए उसके पति व उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता अथवा उत्पीड़न कारित करने और ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न मृतका की मृत्यु के शीघ्र पूर्व किये जाने का प्रश्न है तो इस बाबत बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि मृतका एवं अभियुक्त हेमन्त की शादी, शादी डॉट कॉम के जरिये हुई थी और कोरोना काल होने के कारण शादी मन्दिर में हुई थी। शादी में केवल 30 लोगों को बुलाया गया था। मृतका से अथवा उसके परिवार वालों से अभियुक्तगण द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गयी, न ही दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया गया था और न ही दहेज हत्या की गयी। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि मृतका की मृत्यु शादी के केवल एक वर्ष पश्चात ही हो गयी। अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर इस कदर टार्चर किया गया कि उसने दिनांक 12.07.2021 को आत्महत्या कर ली। अभियुक्तगण द्वारा उसकी दहेज हत्या की गयी है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

43. तहरीर वादी के अनुसार शादी के बाद से ही मृतका कविता के ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और कविता को अपने मायके से लगातार कार तथा नकदी लाने की मांग करने लगे और इसी मांग को लेकर योजना बनाकर अभियुक्तगण द्वारा मृतका कविता की हत्या कर दी।

44. यह सही है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा साक्ष्य में यह बताया गया है कि मृतका की शादी कोरोना काल के दौरान हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी सिद्ध हो रहा है कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जिलाधिकारी द्वारा सीमित संख्या में ही लोगों को समारोह में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती थी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस बाबत यह कहा गया है कि शादी में पचास लोग थे, जबकि बचाव पक्ष द्वारा इस बाबत यह कहा गया है कि शादी में केवल 30 लोग ही अनुमत थे। बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी.डब्ल्यू.–1 राजेन्द्र कुमार द्वारा नगर मजिस्ट्रेट से शादी में 30 व्यक्तियों की अनुमति हेतु जारी अनुमति पत्र को वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में सिद्ध किया गया है। उक्त प्रदर्श के अवलोकन से यह सिद्ध है कि दिनांक 02.07.2020 को प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक के लिए हेमन्त भास्कर व कविता की शादी के लिए अभियुक्त चतर सिंह को 30 व्यक्तियों की उपस्थिति हेतु

अनुमति प्रदान की गयी। इस प्रकार से इस साक्षी द्वारा शादी का पर्चा बाबत 35 प्लेट खाने, 02 कूलर, 04 पंखे, डी.जे., टैन्ट व सजावट हेतु 43,000/–रूपये पत्रावली पर प्रस्तुत कर उसे वस्तु प्रदर्श ख–1 के रूप में सिद्ध कराया गया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शादी में 30 व्यक्ति ही थे।

**45.** इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सारा खर्चा अभियुक्तगण द्वारा ही उठाया गया था, क्योंकि वादी पक्ष मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। इसका विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि यद्यपि शादी की सारी व्यवस्था अभियुक्त चतर सिंह ने की थी तथापि उन सभी खर्चों का भुगतान वादी पक्ष की ओर से किया गया था।

**46.** पत्रावली पर उपलब्ध बचाव साक्षीगण ने यह बताया है कि खर्चों का भुगतान अभियुक्त चतर सिंह ने ही किया था। उल्लेखनीय यह भी है कि साक्ष्य में यह आया है कि शादी के सारे इन्तजाम अभियुक्त चतर सिंह द्वारा किये गये थे। दूसरी ओर अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–1 शिक्षा देवी, पी.डब्ल्यू.–2 गंगाराम व पी.डब्ल्यू.–3 शालू ने शादी का इंतजाम अभियुक्त चतर सिंह द्वारा किये जाना बताते हुए वादी पक्ष द्वारा पैसों का भुगतान किये जाने की बात कही है। वैसे भी भारतीय समाज में साधारणतया शादी का खर्च वधु पक्ष ही उठाता है।

**47.** बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में सारवान विरोधाभास है और तहरीर वादिनी, उनके बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा न्यायालय में परीक्षित साक्ष्य में भी विरोधाभास है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

**48.** तहरीर वादिनी के अनुसार मृतका कविता के ससुरालीजन उससे कार व नकद पैसों की मांग करते रहते थे और अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में वादिनी द्वारा शादी के बाद से ही उसकी पुत्री मृतका कविता के ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किये जाने तथा मायके से कार व सात लाख रूपये की मांग किये जाना भी अभिकथित किया गया है और इसे लेकर मृतका कविता को प्रताड़ित व उसका उत्पीड़न किये जाना भी बताया है। जून 2021 में गंगाराम द्वारा कविता के ससुराल में ए.सी. लगवाये जाने हेतु उसके खाते में 35,000/–रूपये ट्रांसफर किये जाना भी बताया है और दिनांक 12.07.2021 को लगभग 03 बजे शिक्षा देवी द्वारा मृतका कविता को फोन करने और कविता द्वारा उसे यह कहना कि पति, सास–ससूर आदि एक राय होकर उसे दहेज की मांग को लेकर मारना चाह रहे हैं और रात्रि में 12 बजे अभियुक्त चतर सिंह द्वारा गंगाराम के मोबाइल पर धमकाते हुए सूचना देना कि कविता मर गयी है, अभिकथित किया गया है। इसी प्रकार के कथन अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–2 गंगाराम एवं पी.डब्ल्यू.–3 शालू द्वारा अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में किये गये हैं।

**49.** उल्लेखनीय है कि तहरीर वादी में भी वादिनी द्वारा कविता की ससुरालीजन द्वारा लगातार कार व नकदी की मांग करना एवं जून 2021 में कविता के खाते में ए.सी. लगवाने हेतु 35,000/–रूपये ट्रांसफर करना बताया है। यद्यपि अभियोजन साक्षीगण के बयान में यह आया है कि शादी के दिन से ही कविता के

ससुरालीजन ने ही कार की मांग प्रारम्भ कर दी थी, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि शादी के बाद से कार व नकदी मांगने की बात अभियोजन साक्षीगण द्वारा न केवल अपनी तहरीर वादिनी में प्रदर्श क–1 में अंकित की है वरन् अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में भी एवं न्यायालय में हुए बयानों में भी यह बात कही है। यद्यपि न्यायालय में किये गये बयानों में थोड़ी अतिरंजना की गयी है तथापि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में यह तो आया ही है कि कविता की ससुराल वालों ने कविता से दहेज की मांग शादी के पश्चात से ही लगातार की है। यदि तहरीर वादिनी में कोई विशिष्ट बात अंकित नहीं की गयी है तो भी मात्र उसी आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ मरकद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 537** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्यों का ज्ञानकोश (Encyclopaedia) नहीं होती है। प्रथम सूचना लिखाते समय सामान्य रूप से वादी के मस्तिष्क में जो तथ्य आए जिससे कि अपराध की गंभीरता (Gravity) एवं अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित की जा सके, को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में समावेशित करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सात लाख रूपये मांगने की बाबत विशिष्ट कथन अंकित नहीं हैं तो भी वर्तमान अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व कम नहीं हो जाता।

यद्यपि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में कुछ विरोधाभास दृष्टिगोचर हो रहा है तथापि यदि ऐसे विरोधाभास को विश्लेषित किया जाये तो यह मात्र क्षुद्र प्रकृति का प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ मरकद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 537** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन साक्षी के साक्ष्य में क्षुद्र विरोधाभास आना स्वाभाविक है, वास्तव में ऐसे विरोधाभास साक्षियों के साक्ष्य की विष्वसनीयता को बढ़ाते ही है।

50. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका व उसके परिवारजन से किसी प्रकार के कोई दहेज की मांग नहीं की गयी। अभियुक्त हेमन्त भास्कर की शैक्षणिक योग्यता इतनी नहीं है कि उसे कोई नौकरी मिल सके। ऐसे में उसका नौकरी के नाम पर सात लाख रूपये मांगने का कोई औचित्य नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा असत्य कथन किये गये हैं अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त हेमन्त भास्कर बी.ए. पास है, उसकी नौकरी लगवाने के लिए 12 लाख रूपये की आवश्यकता थी, जिसमें पांच लाख रूपये का इंतजाम वर पक्ष के पास था और कविता से वे लोग सात लाख रूपये की मांग करते थे और न देने पर उन्होंने कविता की हत्या कर दी। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

51. अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह आया है कि अभियुक्त हेमन्त भास्कर बी.ए. पास है। स्वयं बचाव साक्षी डी.डब्ल्यू.–2 सत्यपाल भारती द्वारा अपनी जिरह में बताया गया है कि हेमन्त ने ग्रेजुएट किया है। यदि इस साक्षी के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो उससे पता चलता है कि हेमन्त की बहनों व बहनोई इत्यादि भी पढ़े–लिखे हैं और उसकी बहने भी टीचर हैं।

52. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक के अनुसार गंगा राम द्वारा अभियुक्तगण को ए.सी. लगाने के लिए 35,000/–रूपये ट्रांसफर किये गये। यद्यपि बयानों में यह आया है कि 19 हजार रूपये

अभियुक्तगण के खाते में ट्रांसफर किये गये जबकि 16 हजार रूपये नकद गंगाराम द्वारा उन्हें दिये गये जिसके कारण ए.सी. लगी। इस बात बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि हेमन्त के घर में एस.सी. पहले से ही थी जो उसने जून 2020 में खरीदा था तथा जिसका भुगतान यू.पी.आई. द्वारा डीलर को किया गया था। ऐसे में उसे एक अन्य ए.सी. खरीदने की जरूरत नहीं थी। अभियोजन कथानक असत्य है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध किया गया।

53. अभियुक्त हेमन्त भास्कर की ओर से अपने कथनों के समर्थन में पंजाब नेशनल बैंक में अपने खाता विवरण दिनांक 01.06.2020 से 25.06.2020 तक का प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह खाता विवरण बैंक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस पर किसी बैंक की मुहर इत्यादि लगी है। उक्त खाता विवरण के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 14.06.2020 को 25 हजार रूपये अभियुक्त हेमन्त भास्कर ने यू.पी.आई. के जरिये फर्म Angad Training Company के खाते में ट्रांसफर किये गये जिससे खरीदा गया Voltas AC 1 ton Split की टैक्स/सैल इनवॉईस पत्रावली पर कागज संख्या 54क के रूप में मूलरूप में उपलब्ध है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह ए.सी. वर्ष 2020 में खरीदा गया जबकि वादी पक्ष वर्ष 2021, जून में अभियुक्तगण चतर सिंह व शिक्षा देवी के खाते में मृतका कविता द्वारा 19 हजार रूपये ट्रांसफर करना अभिकथित किया है तथा इस बाबत अभियोजन की ओर से भारतीय स्टेट बैंक में संचालित कविता पुत्री गंगाराम का खाता विवरण वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 04.06.2021 को कविता के खाते में सचिन राज द्वारा 12 हजार रूपये, गंगाराम द्वारा दिनांक 05.06.2021 को दो बार में 06 हजार रूपये व 01 हजार रूपये क्रेडिट किये गये। उक्त सचिन को गंगाराम द्वारा अपना जानकार बताया गया है। उक्त 19 हजार रूपये की धनराशि कविता द्वारा यू.पी.आई. के जरिये अभियुक्तगण चतर सिंह व शिक्षा देवी के खाते में दिनांक 05.06.2021 को ही क्रेडिट की गयी। स्पष्ट है कि कविता के खाते में जो 19 हजार रूपये क्रेडिट हुए उसका उद्देश्य उसके खाते से 19 हजार रूपये चतर सिंह व शिक्षा देवी के खाते में ट्रांसफर करना ही था। उल्लेखनीय यह भी है कि इस क्रेडिट की गयी धनराशि की बाबत अभियुक्तगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यदि यह रूपये ए.सी. खरीदने के लिए नहीं थे तो अन्य किस कार्य के लिए कविता द्वारा अपने परिवारजन से लिये गये रूपये अभियुक्तगण चतर सिंह व शिक्षा देवी के खाते में उसी दिन ट्रांसफर कर दिये। अभियुक्तगण के साक्ष्य में यह भी आया है कि शेष 16 हजार रूपये की धनराशि नकद के रूप में अभियुक्तगण को दी गयी।

54. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि यदि अभियुक्तगण द्वारा मृतका व उसके परिवारजन से दहेज की मांग की गयी थी तो उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं की और यह भी कि मृतका बी.ए.एल.एल.बी तक पढ़ी थी तो स्वयं अधिवक्ता होने के नाते भी शिकायत करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक झूठा है अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध किया गया।

55. यह सही है कि तहरीर वादी के अनुसार शादी के बाद ही अभियुक्तगण द्वारा दहेज में कार व नकदी की मांग की बात अभियोजन के साक्षीगण द्वारा कही गयी है। यह भी सही है कि ऐसे कथन वादी मुकदमा शिक्षा देवी जो कि मृतका कविता की माता है, ने अपनी जिरह में किये है और बताया है कि शादी के बाद भी

अभियुक्तगण की गाड़ी की मांग करने की बाबत अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत नहीं की थी। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त हेमन्त भास्कर एवं मृतका कविता की शादी दिनांक 02.07.2020 को सहारनपुर में हुई थी तथा मृतका कविता की मृत्यु दिनांक 12.07.2021 को शादी के एक वर्ष बाद ही हो गयी थी। साधारणतः भारतीय परिवारों में वधु पक्ष यह भरसक प्रयत्न करता है कि उनकी पुत्री का परिवार न टूटे, इसी कारणवश अक्सर यह देखा गया है कि जब तक यह अतिआवश्यक न हो तब तक पीड़िता के साथ हुए दुर्व्यवहार की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं करायी जाती। वरन् मामले को बातचीत के जरिये ही सुलझाने का प्रयास किया जाता है जो कि वर्तमान प्रकरण में भी किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में भी साक्ष्य में यह आया है कि कविता ने अपने मायके वालों को उससे दहेज मांगने एवं उसे प्रताड़ित करने की बात उसने बता दी थी परन्तु वे उसे समझा बुझाकर भेज देते थे कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जायेगा। इन परिस्थितियों में मात्र इस आधार पर कि वादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत नहीं की गयी, वर्तमान कथानक को असत्य नहीं माना जा सकता। जहाँ तक कि मृतका को बी.ए.एल.एल.बी. होना एवं गाजियाबाद में एक साल की जूनियर अधिवक्ता होना भी बताया गया है, परन्तु उसके द्वारा भी किसी सक्षम अधिकारी को कोई शिकायत न करना भी इस बात का द्योतक है कि मृतका एवं उसके मायके वाले यह चाहते थे कि मृतका का परिवार न टूटे।

**56.** पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के अनुसार मृतका कविता को मृत्यु से पहले की चोटें:– 1. Ante Morterm Injuries:–1–Ligature mark oblique Non continuous placed high up in neck between chin and larynx in size 16 cm x 1 cm on front of neck, 5 cm below chin 4 cm below outer angle of right mandible, 6 cm below outer angle of left mandible and 7 cm below left ear.

2. Sub cutaneous tissue under mark white hard glisting.

उल्लेखनीय यह भी है कि मृतका के शव का विसरा संरक्षित रखते हुए उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें यह आख्या दी गयी है कि मृतका के शरीर में कोई रासायनिक विष नहीं पाया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर रूचिन यादव पी.डब्ल्यू.–4 द्वारा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व लटकने के कारण मृतका का दम घुटना बताया गया है। यद्यपि इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने मृतका के शरीर पर कोई Voilence के चिन्ह नहीं पाये और न ही कोई चोट पायी और न ही कोई संघर्ष के मार्क थे और यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रथमदृष्टया मृतका के शरीर से जहर का कोई लक्षण दर्शित नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण Hanging पाया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि मृतका के गले में पाये जाने वाले लिग्नेचर मार्क नॉन कान्टीन्यूस् है जो कि गले में ठोढ़ी एवं लेयरिंग के मध्य था तथा दायीं व बायीं हडडी के नीचे था, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व Hanging के कारण हुई है।

**57.** अभियुक्त हेमन्त भास्कर द्वारा अपनी लिखित बयान तहरीरी में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.07.2021 को उसकी व कविता की शादी की पहली सालगिरहा जो कि पंजाब होटल सहारनपुर में

मनायी गयी थी, लेकिन कविता की छोटी बहन का रिश्ता न लेने के कारण नाराज होने के कारण कविता के परिजन वहाँ नहीं आये। अभियुक्त का यह कथन स्वयं इस बात की ओर अंगित करता है कि दोनों पक्षों के मध्य संबंध मधूर नहीं थे। अभियुक्त हेमन्त भास्कर द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि दिनांक 12.07.2021 को जब वह बाहर कुछ सामान लेने गया था तो कुछ सामान लेकर ऊपर कमरे पर पहुंचा तो दरवाजा अन्दर से बन्द था, आवाज लगाने पर कविता नहीं बोली और उसे पता चला कि कविता फन्दे से लटकी है तो वह जोर जोर से चिल्लाया। बाद में पड़ोसी के आने के बाद उसने दरवाजे का पल्ला तोड़ा और अन्दर के कुन्डी खोली एवं कविता को पीछे से उतारा। कविता को पीछे से अभियुक्त हेमन्त भास्कर द्वारा उतारा जाना बचाव साक्षी डी.डब्ल्यू.–2 सत्यपाल भारती द्वारा अपने बयानों में बताया गया है।

58. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि मृतका के साथ अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी, न ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। अभियोजन की ओर से मृतका की कोई आघात आख्या भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके कारण अभियोजन कथानक असत्य सिद्ध होता है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध किया गया।

59. यह सही है कि मृतका को पोस्टमार्टम में कोई चोट नहीं दर्शायी गयी है और न ही पंचनामे में कोई चोट दर्शायी गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी महिला का उत्पीड़न शारीरिक रूप से किया जाये जरूरी नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उसका उत्पीड़न किया जा सकता है। बचाव पक्ष द्वारा कविता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का कारण यह बताया गया है कि चूंकि अभियुक्त हेमन्त भास्कर के छोटे भाई प्रवीन की शादी मृतका की बहन से करने से अभियुक्तगण व प्रवीन द्वारा मना कर दिया गया था जिसके कारण मृतका कविता नाराज थी और अवसाद में आ गयी थी और इसी कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से केवल सुझाव के रूप में ही यह कहा गया है कि प्रवीन की शादी मृतका की बहन से करने से इंकार कर देने के कारण मृतका कविता अवसाद में थी, इसके लिए कोई धनात्मक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साधारणतः यह मामला अवसाद का है ही नहीं क्योंकि यदि मृतका की बहन की शादी अभियुक्त के भाई से होने से इंकार कर दिया गया था तो भी कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति मात्र इसी कारण से आत्महत्या नहीं करेगा। साक्ष्य में यह भी आया है कि कविता की छोटी बहन से प्रवीन के विवाह से इंकार करने का कारण कविता नाराज रहने लगी थी और प्रवीन के लिए जब लड़की देखने अम्बाला जाना था तब भी वह वहाँ नहीं गयी थी और रिंग सेरेमनी में भी जाने से उसने मना कर दिया था। दिनांक 02.07.2021 को भी हेमन्त भास्कर व कविता की पहली सालगिरह पंजाब होटल में मनाये जाने पर भी कविता के मायके वालों का वहाँ न आना विवाद को दर्शाता है। प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर वादी से लेकर न्यायालय तक में वादी पक्ष की ओर से जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त हेमन्त भास्कर व कविता की शादी दिनांक 02.07.2020 को कोरोना काल में हुई थी तथा शादी के पश्चात से ही हेमन्त व उसके परिवार वालों द्वारा कविता से दहेज में कार व नकदी की मांग की जाने लगी थी।

60. साक्ष्य में यह भी आया है कि घटना वाले दिन दिनांक 12.07.2021 को समय के लगभग 03 बजे वादिनी द्वारा कविता को फोन किया गया तो कविता ने बताया कि उसके पति, सास–ससुर, ननद आदि एक राय होकर उसे मारना चाह रहे हैं और आपस में बात कर रहें है कि उनका दामाद आई.बी. पुलिस में हैं वह उन्हें कुछ नहीं होने देगा। तथ्य के अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अपने–अपने बयानों में यह बताया गया है कि दिनांक 12.07.2021 को दोपहर 03.00 बजे कविता का फोन उसकी माता के पास आया था जिसमें उसने बताया था कि अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, चतर सिंह व शिक्षा देवी, संदीप व ननद आपस में उसे मारने की बात कर रहे थे। बचाव पक्ष की ओर से इस बाबत कोई कॉल रिकार्ड पत्रावली पर न होना बताया गया। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि मात्र कॉल रिकार्ड न होने के आधार पर ही अभियोजन साक्षीगण के इस बाबत साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता।

61. जहाँ तक 03.00 बजे इस बात का पता चल जाने की अभियुक्तगण मृतका को मारने की योजना बना रहे हैं तब भी मृतका के परिवारवालों का तुरन्त उसे बचाने के लिए न निकलना इस बात का द्योतक है कि साधारणतः लड़की के मोबाइल पर सूचना करने मात्र से ही कोई व्यक्ति इतना कंभीर नहीं होता कि वह तुरन्त उसे बचाने के लिए चल दे। इसी क्रम में वादिनी द्वारा मृतका को टेलीफोन करने का प्रयास भी किया गया और उसने मम्मी–मम्मी कहकर कॉल कट किया। पुनः हेमन्त भास्कर को शालू द्वारा फोन करके बात करने का प्रयास किया गया तो हेमन्त ने कहा कि तुमने हमारी मांग पूरी नहीं की है और फोन कट कर दिया और फिर बार–बार करने पर भी नहीं उठाया। अगर इस बयान को डी.डब्ल्यू.–2 के बयान के साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि डी.डब्ल्यू.–2 द्वारा घटना 09.30–10.00 बजे की बतायी गयी है। मृतका उस अवस्था में थी कि वह फांसी लगा ले परन्तु अभियुक्त हेमन्त भास्कर द्वारा उससे उसके परिजन की बात नहीं करायी गयी। जहाँ तक इन फोन कॉल की कॉल रिकार्डिंग न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि यह विवेचना की त्रुटि है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **खेमराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 1 एस.सी.सी. 202** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचना में कोई कमी है तो मात्र इसी आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, यदि मामला अन्यथा सिद्ध है।

62. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा अपने–अपने बयानों में अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका को दहेज हेतु प्रताड़ित करना बताया है जिसके विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर बचाव पक्ष की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह तथ्य संदिग्ध प्रतीत होता हो। इस प्रकार अभियोजन की ओर से यह सिद्ध कर दिया गया है कि मृतका को उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था तथा उसकी गला घोटकर दहेज हत्या कारित की गयी। उपरोक्त आधार पर **धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम** की उपधारणा अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह के विरुद्ध उत्पन्न हो जाती है।

63. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **Harish kumar Vs. State of Haryana 2015 (88) ACC 640 (SC)** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ पर भारतीय साक्ष्य

अधिनियम की धारा 113बी के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर ऐसी उपधारणा के खण्डित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।

64. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यह उपधारणा खण्डनीय होती है, जिसे कि अभियुक्तगण द्वारा धनात्मक साक्ष्य देकर ही इसका खण्डन कराया जा सकता है। अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह की ओर से जो भी साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत किये गये हैं वह न्यायालय के मत में अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह के विरुद्ध उत्पन्न धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा को खण्डित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

65. इन तथ्यों व परिस्थितियों व साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका कविता से क्रूरता करना एवं उसकी दहेज हत्या कारित करने को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए व 304बी के आरोपों में दोषसिद्ध होने योग्य है।

66. जहाँ तक अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह के विरूद्ध न्यायालय द्वारा विरचित वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतका कविता की अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा उसका गला दबाकर कर दी गयी है अतः अभियुक्तगण हत्या के दोषी है उन्हें दोषसिद्ध किया जाये। बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध करते हुए तर्क दिया गया है अभियुक्तगण द्वारा मृतका कविता की हत्या नहीं की गयी है वरन् अवसाद से ग्रस्त होकर उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

67. उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका की दहेज हत्या कारित की गयी है। अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा जो अपराध किया गया है वह दहेज हत्या की श्रेणी में आता है, जिस हेतु अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी के अन्तर्गत दोषी पाया गया है। इन परिस्थितियों में न्यायालय के मस्तिष्क में अभियुक्तगण द्वारा मृतका कविता की हत्या कारित किये जाने की बाबत युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। तद्नुसार अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के वैकल्पिक आरोप में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य है।

68. जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा मृतका कविता व उसके मायके वालों से दहेज लेने या उन्हें दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रश्न है तो इस बाबत **धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार** यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज लेना या देना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष की होगी और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रूपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दण्डनीय

होगा।

69. प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका कविता व उसके मायके वालों से विवाह से पूर्व शादी में फेरों के समय एवं उसके पश्चात कार व नकदी की मांग की गयी है तथा मृतका कविता के मायके वालों को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया गया। जिसमें विशेषतया अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने–अपने बयानों में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि मृतका कविता को दहेज में कार व नकदी तथा अभियुक्त हेमन्त भास्कर की नौकरी लगवाने हेतु सात लाख रूपये देने हेतु दुष्प्रेरित किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका कविता के पिता ने उसके खाते में 19,000/–रूपये ट्रांसफर कराये तथा क्रेडिट होने के दिन ही मृतका द्वारा उसे अपनी सास व ससुर के खाते में ट्रांसफर कर दिये गये। इस बात का बचाव पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यदि ये रूपये ए.सी. के लिए नहीं दिये थे तो अन्य किस कार्य के लिए दिये गये थे।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा पीड़िता कविता व उसके मायके वालों से उन्हें दहेज के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के आरोप में दोषसिद्ध होने योग्य है।

70. जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा मृतका कविता व उसके मायके वालों से दहेज मांगने का प्रश्न है तो इस बाबत **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति, वधू या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10 हजार रूपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

71. प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका कविता व मायके वालों से विवाह से पूर्व एवं उसके पश्चात कार व नकदी की मांग की गयी है। जिसमें विशेषतया अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने–अपने बयानों में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि मृतका कविता को कार व नकदी रूपये दहेज में देने हेतु कहता था तथा उसके साथ दुर्व्यवहार अथवा क्रूरता करता था। यह भी साक्ष्य में आया है कि अभियुक्तगण मृतका कविता से हेमन्त की नौकरी लगवाने के लिए मायके से सात लाख रूपये लाने के लिए कहते थे।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा पीड़िता कविता व उसके मायके वालों से दहेज में कार व नकदी मांगने के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के आरोप में दोषसिद्ध होने योग्य है।

72. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, साक्ष्य के विश्लेषण एवं संदर्भित विधि–व्यवस्थाओं के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष सत्र वाद संख्या–739 सन् 2022 राज्य बनाम

हेमन्त भास्कर आदि में अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को धारा–498ए, 304बी, भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के अंतर्गत आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है तथा वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

सत्र वाद संख्या–739/2022 राज्य बनाम हेमन्त भास्कर आदि में अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को आरोप अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की वैकल्पिक धारा 302 में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है एवं उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं उनके जामीनदारों को जमानत के उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक **22.04.2026** पेश हो।

(विकास गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।
आई.डी.– यू0पी0 6228

दिनांक 20.04.2026

22.04.2026

**73.** सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को व्यक्तिगत रूप से सुना गया।

**74.** दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अपराधीगण गरीब है, उनका कोई पैरोकार नहीं है। अभियुक्तगण श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह वृद्ध है। उनका यह प्रथम अपराध है तथा वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। अतः उन्हें कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

**75.** दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह गरीब है, उनका कोई पैरोकार नहीं है। अभियुक्तगण श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह वृद्ध है। उनका यह प्रथम अपराध है तथा वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। अतः उन्हें कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

**76.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) का कथन है कि दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका कविता से अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नकदी की मांग की गयी तथा उक्त मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृतका की दहेज हत्या कर दी गयी। अपराध गम्भीर एवं जघन्य प्रकृति का है। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

**77.** प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा मृतका कविता से अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व नकदी की मांग की गयी तथा उक्त मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृतका की दहेज हत्या कर दी गयी।

**78.** दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त मार्ग दर्शक विधि–व्यवस्था **Bachaan Singh Vs. State of Punjab, 1980 (2) SCC 684, Lehna Vs. State of Haryana, 2002 (3) SCC 76 तथा Machi Singh & Ors. Vs. State of Punjab, 1983 (3) SCC 470** के माध्यम से यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि दण्डादेश आदिष्ट करने के स्तर पर आक्रामक एवं प्रशमनकारी परिस्थितियों का संतुलन रखना अनिवार्य है।

**79.** न्यायालय द्वारा शास्ति निर्धारण हेतु दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह की आयु, अपराध की प्रकृति, न्यायालय द्वारा दी जाने वाले शास्ति का दोषसिद्ध अपराधी एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रश्नगत अपराध में विधि द्वारा दी जाने वाली शास्ति एवं अधिरोपित की जाने वाली शास्ति के बीच समानुपातिकता के सिद्धान्त तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सत्र वाद संख्या–739 सन् 2022 में दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के अन्तर्गत **निम्न** दण्डादेश एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**80.** यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोषसिद्ध अपराधी चतर सिंह की आयु लगभग 75 वर्ष बतायी गयी है एवं दोषसिद्ध अपराधी श्रीमती शिक्षा की आयु लगभग 72 वर्ष बतायी गयी है और इन दोनों को बीमार भी बताया गया है। अतः इन दोषसिद्ध अपराधीगण चतर सिंह व श्रीमती शिक्षा की वृद्ध आयु को देखते हुए उनके मामले में न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित एवं विधिसम्मत है।

**आदेश**

सत्र वाद संख्या–739 सन् 2022 उ.प्र. राज्य बनाम हेमन्त भास्कर आदि में दोषसिद्ध अपराधी हेमन्त भास्कर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **304बी** के अन्तर्गत दोषी पाते हुए **दस वर्ष के कठोर कारावास** के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध अपराधीगण श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **304बी** के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को **सात वर्ष के कठोर कारावास** के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **498ए** के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को **तीन वर्ष के कठोर कारावास** एवं **10,000/–(दस हजार रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में दोषसिद्ध अपराधीगण **एक–एक माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेंगे।

दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा **3** के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को **पांच वर्ष के कठोर कारावास** एवं **20,000/–(बीस हजार रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में दोषसिद्ध अपराधीगण **दो–दो माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेंगे।

दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा **4** के अन्तर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को **दो वर्ष के कठोर कारावास** एवं **5,000/–(पांच हजार रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में दोषसिद्ध अपराधीगण **पन्द्रह–पन्द्रह दिन** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेंगे।

उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी। दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उनकी सजा में समायोजित की जायेगी।

नियमानुसार दण्ड अधिपत्र तैयार कर दोषसिद्ध अपराधीगण हेमन्त भास्कर, श्रीमती शिक्षा व चतर सिंह को दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार, सहारनपुर प्रेषित किया जाये।

निर्णय की एक–एक प्रति अविलम्ब दोषसिद्ध अपराधीगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(विकास गुप्ता)
दिनांक–22.04.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।
आई.डी.– यू0पी0 6228

आज यह निर्णय उसके द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घघोषित किया गया।

(विकास गुप्ता)
दिनांक–22.04.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।
आई.डी.– यू0पी0 6228

Digitally signed by VIKAS GUPTA
Date: 2026.04.22 17:03:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court